

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 (हिन्दी)



राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मॉडल स्कूल योजना एवं
बालिका छात्रावास योजना



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति
राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
डी.पी.ई.पी. भवन, लालपानी, शिमला-171001

वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

(हिन्दी)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,

मॉडल स्कूल योजना


एवं

बालिका छात्रावास योजना

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति

राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

डी.पी.ई.पी. भवन, लालपानी, शिमला-171001



विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में सामान्य सूचना	
	वास्तविक प्रपत्र, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग	
	हिमाचल प्रदेश में जिलावार साक्षरता दर	
	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु संरचनात्मक ढांचा	
अध्याय 1	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, हिमाचल प्रदेश	6-9
अध्याय 2	कार्यक्रम प्रबंधन	10-14
अध्याय 3	विभिन्न गतिविधियों में प्रगति	15-19
	वित्तीय लेखा जोखा	
	निर्माण कार्य	
	अध्यापक प्रशिक्षण	
	लिंग विशिष्ट गतिविधियां	
	विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सामुदायिक जागरूकता	
	एकोकृत जिला सूचना प्रणाली	
	शैक्षिक गुणवत्ता के लिए किये जा रहे अन्य कार्य	
अध्याय 4	मॉडल स्कूल योजना	
अध्याय 5	बालिका छात्रावास योजना	
अध्याय 6		24-57
	ऑडिट एंड अकाउंट्स (आर.एम.एस.ए., मॉडल स्कूल एवं बालिका छात्रावास योजना)	
	लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	
	लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र	
	अधिप्राप्ति प्रमाण पत्र	
	उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	तुलन पत्र	

हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में सामान्य सूचना

स्थापना	15 अप्रैल, 1948
राज्यत्व प्राप्ति	25 जनवरी, 1971
स्थान :	
दक्षांश	75 ⁰ 45' 55" E to 79 ⁰ 04' 20" E
अक्षांश	30 ⁰ 22' 40" N to 33 ⁰ 12' 40" N
क्षेत्र	55,673 Sq. Km.
ज़िला	12
तहसील	83
विकास खण्ड	77
आबाद गांव	17495
जनसंख्या (2011)	
कुल जनसंख्या	68.57 लाख
पुरुष	34.74 लाख
महिलाएं	33.83 लाख
घनत्व	
जनसंख्या का घनत्व	123 प्रति व्यक्ति/वर्ग कि.मी.
अत्याधिक	406 प्रति व्यक्ति/वर्ग कि.मी. (हमीरपुर)
न्यूनतम	2 प्रति व्यक्ति/वर्ग कि.मी. (लाहौल-स्पिति)
लिंग अनुपात	974 / 1000 पुरुष/महिलाएं
जनसंख्या स्तर (2011) %	
ग्रामीण	61.7 लाख (89.6%)
शहरी	6.9 लाख (10.4%)
अनुसूचित जाति	15.0 लाख
अनुसूचित जनजाति	2.4 लाख
साक्षरता दर (2011)	
साक्षरता दर	83.78 प्रतिशत
पुरुष साक्षरता	90.83 प्रतिशत
महिला साक्षरता	76.60 प्रतिशत
गांव का विद्युतीकरण	100 प्रतिशत
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या :	68
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
लोकसभा	4
राज्यसभा	3

स्रोत :- वाणिज्य एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला

वास्तविक पत्र
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग

1	कुल विद्यालय	शिक्षा विभाग		
	माध्यमिक	841		
	उच्च माध्यमिक	1321		
2	कुल नामांकन	लड़के	लड़कियाँ	कुल
	माध्यमिक	113066	109108	222174
	उच्च माध्यमिक	93250	90915	184165
3	कुल अध्यापक	पुरुष	महिला	कुल
	माध्यमिक	11518	6683	18201
	उच्च माध्यमिक	6870	3570	10440
4	GER	लड़के	लड़कियाँ	कुल
	माध्यमिक	121.60	116.96	119.39
	उच्च माध्यमिक	91.38	91.13	91.26
5	NER	लड़के	लड़कियाँ	कुल
	माध्यमिक	72.02	70.36	71.23
	उच्च माध्यमिक	52.99	53.61	53.29
6	PTR			
	माध्यमिक			22
	उच्च माध्यमिक			
7	औसत स्कूल आकार			
	माध्यमिक			103
	उच्च माध्यमिक			139
8	विद्यालय छोड़ने वाले			
	कक्षा 10	5.04	4.99	5.02
	कक्षा 11	12.44	7.82	10.26


स्रोत:- शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली 2012-13.

हिमाचल प्रदेश में जिलावार साक्षरता दर (2011)


जिला	जनसंख्या	पुरुष	महिलाएं	जन्म दर	लिंगानुपात	साक्षरता दर	घनत्व
बिलासपुर	382056	192827	189229	12.08	981	85.67	327
चम्बा	518844	260848	257996	12.58	989	73.19	80
हमीरपुर	454293	216742	237551	10.08	1096	89.01	406
कांगड़ा	1507223	748559	758664	12.56	1013	86.49	263
किन्नौर	84298	46364	37934	7.61	818	80.77	13
कुल्लू	437474	224320	213154	14.65	950	80.14	79
लाहौल-स्पिति	31528	16455	15073	-5.1	916	77.24	2
मण्डी	999518	496787	502731	10.89	1012	82.81	253
शिमला	813384	424486	388898	12.58	916	84.55	159
सिरमौर	530164	276801	253363	15.61	915	79.98	188
सोलन	576670	306162	270508	15.21	884	85.02	298
ऊना	521057	263541	257516	16.24	977	87.23	338

जिला	पुरुष/महिलाएं प्रति हजार
किन्नौर	818
सोलन	884
सिरमौर	915
लाहौल-स्पिति	916
शिमला	916
कुल्लू	950
ऊना	977
बिलासपुर	981
चम्बा	989
मण्डी	1012
कांगड़ा	1013
हमीरपुर	1096

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु संरचनात्मक ढांचा



राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला स्तरीय संरचना



अध्याय 1

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

परिचय

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक स्तर पर (9वीं एवं 10वीं कक्षाओं के लिए) भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत वर्ष 2009-10 से "हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति" एवं सर्व शिक्षा अभियान के प्रशासनिक ढाँचे द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना वर्तमान ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र तथा राज्य की 75 व 25 प्रतिशत की भागीदारी से क्रियान्वित की जा रही है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा वर्ष 2020 तक ठहराव (प्रतिधारण) का सार्वभौमिकरण है।

दृष्टि (विजन)

माध्यमिक शिक्षा का ध्येय (विजन) दृष्टि है 14-18 वर्ष आयु वर्ग के सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सुलभ तथा वहन योग्य तरीके से उपलब्ध करावाना है। इस ध्येय (विजन) को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित को हासिल किया जाना है :

- किसी भी अधिवास क्षेत्र के लिए वाजिब दूरी पर माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना, जो कि माध्यमिक विद्यालय के लिए 5 किलोमीटर तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 7-10 कि०मी० के अन्दर हो।
- 2017 तक सभी को माध्यमिक शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना (100% GER), एवं 2020 तक सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव (प्रतिधारण)
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों शैक्षिक रूप से पिछड़े, ग्रामीण क्षेत्रों लड़कियों एवं असमर्थ बच्चों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं, शैक्षिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यकों (EBM) को माध्यमिक शिक्षा सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की चुनौती का सामना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के ढाँचे में संकल्पनात्मक रूपरेखा में एक बदलाव की आवश्यकता है। इस संबंध में सार्वभौमिक पहुँच, (यूनिवर्सल एक्सेस) समानता और सामाजिक न्याय, प्रासंगिकता, विकास पाठ्यक्रम तथा संरचनात्मक पहलू आदि मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं।

माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण समानता (इक्विटी) की ओर बढ़ने का अवसर देता है।

आम विद्यालय की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि इन सभी मूल्यों को सम्मिलित करते हैं तो सभी स्कूल जिनमें निजी स्कूल भी शामिल हैं माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य प्राप्ति के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सुनिश्चित बनाएंगें।

उपरोक्त लक्ष्य को निम्नलिखित उद्देश्य में तबदील करना है:

- यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी तथा स्थानीय सरकार/निकायों एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामले में कम से कम सुझाए गए मानकों के अनुसार एवं अन्य विद्यालयों के मामले में उचित नियामक तंत्र के अनुसार कार्य हो।
- नियमों के अनुसार सभी युवाओं को माध्यमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा सुगम बनाना—नजदीक उपलब्ध करवाकर जैसे कि माध्यमिक विद्यालय 5 किलोमीटर के भीतर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर 7–10 कि०मी० के भीतर/दक्ष एवं सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था/आवासीय सुविधाएं, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, मुक्त विद्यालय सुविधा उपलब्ध करवाना, लेकिन पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में, इन मापदंडों में कुछ ढील दी जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने को तरजीह दी जा सकती है।
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बालक लिंग, सामाजिक—आर्थिक, असमर्थता या अन्य रूकावटों की वजह से गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहे।
- माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारना, जिसके परिणामस्वरूप बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सीख बढ़े।
- यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक शिक्षा ले रहे सभी छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले।
- उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति, अन्य बातों के साथ—साथ, आम विद्यालय प्रणाली की दिशा में काफी प्रगति को भी दर्शाता है।
- प्रारम्भ में यह योजना कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए होगी। तत्पश्चात उच्चतर माध्यमिक स्तर को भी लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा तक सभी की पहुंच बनाने एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए रणनीति इस तरह है :

पहुँच (एक्सेस)

देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की सुविधा में व्यापक असमानता है। निजी तथा सरकारी विद्यालयों के बीच असमानताएं हैं। गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के लिए एकसमान पहुंच प्रदान करने के लिए यह स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से बनाए गए व्यापक मापदण्ड विकसित किए जाएं तथा प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लिए भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषागत एवं सांख्यिकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही नहीं बल्कि जहां जरूरी हो स्थानीय जगह के अनुसार भी व्यापक प्रावधान किए जायें। माध्यमिक विद्यालयों में नियम सामान्यतौर पर केन्द्रीय विद्यालयों के तुल्य होने चाहिए। ढांचागत सुविधाओं एवं सीखने के संसाधनों का विकास निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा।

- मौजूदा विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पारी की शिफ्टों का विस्तार/रणनीति।
- सूक्ष्म नियोजन के आधार पर सभी आवश्यक ढांचागत सुविधाओं एवं शिक्षकों सहित उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन के समय आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवश्यकता के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन।
- स्कूल मैपिंग प्रक्रिया के आधार पर अछूते रहे क्षेत्रों में नए माध्यमिक विद्यालय/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना। इन सभी इमारतों में वर्षा-जल संचय प्रणाली अनिवार्य रूप से होगी तथा उसे विकलांगों के लिए मित्रवत् या उनके अनुकूल बनाया जायेगा।
- वर्षा-जल संचय प्रणाली को मौजूदा विद्यालयों में भी स्थापित किया जायेगा।
- मौजूदा विद्यालयों की इमारतों को भी विकलांगों के लिए मित्रवत् बनाया जाएगा। नए विद्यालयों सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.डी. मोड) के आधार पर स्थापित किये जायेगे।

गुणवत्ता

- आवश्यक ढांचागत सुविधाएं जैसे श्यामपट्ट, कुर्सियाँ, पुस्तकालय, विज्ञान एवं गणित प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं, शौचालय एवं पेयजल आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्य के दौरान प्रशिक्षण।
- कक्षा 8 उत्तीर्ण कर रहे छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सेतु-पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स)।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 (NCF 2005) के मापदंडों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम की समीक्षा।
- ग्रामीण तथा दुर्गम पहाड़ी इलाकों में शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधा तथा महिला शिक्षकों को आवासीय सुविधा के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

न्याय (इक्विटी)

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मुफ्त भोजन/आवास की सुविधाएं

- लड़कियों के लिए छात्रावास/आवासीय विद्यालय, नकद प्रोत्साहन, स्कूल वर्दी, पुस्तकें व अलग शौचालय की सुविधाएं।
- माध्यमिक स्तर पर मेधावी/जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- सभी गतिविधियों की विशिष्टता होगी, समावेशित शिक्षा। सभी विद्यालयों में विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे।

मुक्त एवं दूरस्थ सीखने की जरूरतों का फैलाव की आवश्यकता विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, जो पूर्णकालिक माध्यमिक शिक्षा हासिल नहीं कर सकते तथा आमने-सामने बैठकर निर्देशों के लिए पूरक सुविधाओं में वृद्धि की जाये। यह प्रणाली विद्यालय के बाहर रह रहे बच्चों की शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

संस्थागत सुधार एवं संसाधन संस्थाओं का सुदृढीकरण :

केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में आवश्यक प्रशासनिक सुधार पूर्व-शर्त होगी। इन संस्थागत सुधारों में शामिल है—

- विद्यालय प्रशासन में सुधार—प्रबन्ध तथा जवाबदारियों के विकेन्द्रीकरण द्वारा विद्यालयों के प्रदर्शन में सुधार।
- शिक्षकों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक एवं कैरियर विकास की न्यायोचित नीति अपनाना।
- शैक्षणिक प्रशासन में आधुनिकीकरण/ई-शासन एवं जिम्मेदारी बांटना/विकेन्द्रीकरण करना।
- सभी स्तरों पर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में आवश्यक व्यावसायिक एवं शैक्षणिक जानकारी का प्रावधान।
- धन का तेजी से प्रवाह एवं इनके अधिकतम उपयोग के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- विभिन्न स्तरों पर संसाधन संस्थाओं का आवश्यक, सुदृढीकरण जैसे:
 - राष्ट्रीय स्तर पर—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (NCERT सहित), राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS).
 - राज्य स्तर पर—राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (SCERT), राज्य के मुक्त विद्यालय, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (State Institute of Educational Management and Training, SIEMAT) आदि एवं
 - विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग, विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी शिक्षा क्षेत्र को प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं केन्द्र प्रायोजित शिक्षक योजना के तहत के लिए शिक्षा महाविद्यालय/शिक्षा में उन्नत अध्ययन की संस्थाओं।
 - नियोजन प्रक्रिया लागू करने तथा उस पर निगरानी रखने एवं सतत विकास के लिए पंचायती राज एवं नगर निगम, समुदाय, शिक्षकों, अभिभावकों एवं अन्य हिस्सेदारों की माध्यमिक शिक्षा में विद्यालय प्रबन्ध समितियों एवं अभिभावक शिक्षक संघों जैसी संस्थाओं के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चित करना।



अध्याय 2

कार्यक्रम प्रबन्धन

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए एक स्वायत्त समिति हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी (HPSES) का पंजीकरण हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 2006 की धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत पंजीकृत किया गया है। 19 मार्च, 2010 को (2006 का 25 सं. रजिस्टर सोसाईटी जिला-शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा क्र०सं० 120/95 में, प्रधान शिक्षा सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में सोसाईटी का गठन किया गया जिसका मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, ग्लेन होगन लालपानी, शिमला 171001 में स्थित है।

प्रबंधन संरचना

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, "हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति" (HPSES) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है इस के दो अंग हैं— शासकीय परिषद् जिसमें मुख्यमंत्री, हि०प्र०, पदेन अध्यक्ष है और कार्यकारी समिति जिसके अध्यक्ष प्रधान सचिव, शिक्षा, हि०प्र० है।

शासकीय परिषद्

(संघीय ज्ञापन के नियम-7 के तहत गठित)

1.	माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष
2.	माननीय शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
4.	सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य
5.	सचिव वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
6.	सचिव सामाजिक और महिला कल्याण हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
7.	सचिव स्कूल शिक्षा, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य
8.	सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
9.	सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
10.	सचिव स्थानीय सरकार, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य
11.	सचिव जन-सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य
12.	आयुक्त/सचिव जनजातीय विकास, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य
13.	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश, स्कूल शिक्षा बोर्ड	पदेन सदस्य
14.	प्राचार्य, एससीईआरटी, सोलन हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य

15.	सुश्री इंदिरा चौहान, सीएचटी. प्राइमरी स्कूल, पौटा साहिब, जिला सिरमौर	पूर्व प्राथमिक स्कूल शिक्षक और एनईएफ व्यक्ति
16.	श्री चमन ठाकुर, बी०पी०ई०ओ०, ग्राम कोठी, डॉ० चौलथरा तहसील सरकाघाट, जिला मंडी	पूर्व प्राथमिक स्कूल शिक्षक और एनईएफ व्यक्ति
17.	श्री रमेश ठाकुर जे०बी०टी०, प्राइमरी स्कूल, बैलग दा घाट तहसील भौरंज, जिला हमीरपुर	पूर्व प्राथमिक स्कूल शिक्षक और एनईएफ व्यक्ति
18.	श्री बलदेव चंद धीमान सेवानिवृत्त, प्रधानाचार्य, ग्राम ककरयाना, पी०ओ० टिक्कर (डिडवीं), जिला हमीरपुर	उच्च प्राथमिक अध्यापक
19.	श्री ब्रह्म दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त उप.निदेशक गांव व डाकघर बेला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर	शिक्षाविद्
20.	श्रीमती प्रेमी देवी, बी०ई०ई०ओ०, झंडुता जिला बिलासपुर	शिक्षाविद्
21.	श्रीमती किरण गेरा, प्रज्ञा (एनजीओ), जीवन ज्योति बिल्डिंग वी०पी०ओ० रिकांगपिओ किन्नौर	स्वैच्छिक एजेंसी
22.	श्रीमती संजना गोयल, आई०ए०एम०डी०, अस्पताल रोड, सोलन	स्वैच्छिक एजेंसी
23.	डॉ० एन०के० शर्मा, क्लीनिकल मनोविज्ञानी, नेशनल स्ट्रीट, मंडी	विशेषज्ञ अ.सू.जाति, अ.सू.जनजाति एवं विकलांग हेतु
24.	श्री बलदेव राज अवस्थी (आयुर्वेदिक अधिकारी) नजदीक गैस एजेंसी, कुल्लू	विशेषज्ञ अ.सू.जाति, अ.सू.जनजाति एवं विकलांग हेतु
25.	श्रीमती चन्द्रकला, सी०डी०पी०ओ०, ग्राम द्रंग, डाकघर कुन्नु जिला मंडी	महिला शिक्षाविद्
26.	श्रीमती सतवीर कौर, धर्म पत्नी श्री पी०एस० बोंसरा, गांव व डाकघर देहलां ऊना	महिला शिक्षाविद्
27.	श्री एस०एन०शौरी, सेवानिवृत्त उपनिदेशक धर्मशाला	सामाजिक कार्यकर्ता
28.	श्री जगदीश शर्मा, श्री हरि कुंज, लोअर कैथू शिमला-3	साहित्यकार और कलाकार

भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य		
29.	संबन्धित संयुक्त सचिव	
30.	संबन्धित संयुक्त सचिव या उसके द्वारा नामित व्यक्ति	एम.एच.आर.डी. द्वारा नामित
31.	वित्तीय सलाहकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय या उसके द्वारा नामित व्यक्ति	एम.एच.आर.डी. द्वारा नामित
32.	डॉ० गोविन्दा उपकुलपति राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) न्यू दिल्ली	एम.एच.आर.डी. द्वारा नामित
33.	उप कुलपति हि०प्र० विश्वविद्यालय शिमला (एस०एस०ए०/ आर०एम०एस०ए० मॉनिटरिंग संस्थान)	शिक्षाविद्
34.	श्री जे०बी०जे० तिलक, वरिष्ठ फ़ैलो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) न्यू दिल्ली	शिक्षाविद्
35.	प्रो. श्याम मेनन, सी०आई०ई० दिल्ली विश्वविद्यालय	शिक्षाविद्
36.	प्रो. आलोक गुहा, विकलांगता कारपोरेशन नई दिल्ली	विशेषज्ञ अ.सू.जाति, अ.सू. जनजाति एवं विकलांग बच्चों के शिक्षक
37.	श्री आर०डी० मुंडा, पूर्व कुलपति, रांची विश्वविद्यालय	विशेषज्ञ अ.सू.जाति, अ.सू. जनजाति एवं विकलांग के लिए शिक्षक
38.	श्री सुभाष माहादपुरकार, सूत्र सोलन	विशेषज्ञ अ.सू.जाति, अ.सू. जनजाति एवं विकलांग बच्चों के लिए
39.	डॉ. पाम राजपूत, पंजाब विश्वविद्यालय	महिला शिक्षाविद्
40.	सुश्री कुजना सिंह, रेंजर पैलेस, जिला सिरमौर, हि०प्र०	महिला शिक्षाविद्

कार्यकारिणी समिति

कार्यकारिणी समिति का गठन इस प्रकार से है:-

1.	प्रधान सचिव (शिक्षा) हि०प्र० सरकार	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव (वित्त) हि०प्र० सरकार	सदस्य
3.	प्रधान सचिव (योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी) हि०प्र० सरकार	सदस्य
4.	प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि०प्र० सरकार	सदस्य
5.	अतिरिक्त/संयुक्त/अवर (शिक्षा) हि०प्र० सरकार	सदस्य
6.	निदेशक उच्चतर शिक्षा एवं मिशन निदेशक (आर०एम०एस०ए०)	सदस्य
7.	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं मिशन निदेशक(एस०एस०ए०)	सदस्य
8.	प्रधानाचार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) सोलन	सदस्य
भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य		
9.	संबन्धित संयुक्त सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
10.	वित्तीय सलाहकार, मानव-संसाधन विकास मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
11.	डॉ. गोविन्द, उपकुलपति राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) न्यू दिल्ली	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
12.	डॉ. सुदेश नेगी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला (सर्व शिक्षा अभियान मॉनिटरिंग संस्थान)	शिक्षाविद् शिमला
13.	डॉ. टिटल मल्होत्रा, अमर ज्योति ट्रस्ट, नई दिल्ली	स्वैच्छिक एजेंसी
14.	सुश्री विमला रामचंद्रन	महिला शिक्षाविद्

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य		
15.	श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, सेवानिवृत्त, उप निदेशक गांव व डाकघर बेला तहसील नादौन, जिला हमीरपुर	शिक्षाविद्
16.	श्रीमती संजना गोयल, आई.एम.डी. अस्पताल रोड, तहसील एवं जिला सोलन	स्वैच्छिक एजेंसी
17.	श्री जगदीश शर्मा, श्री हरि कुंज, लोअर कैथू शिमला-3	साहित्यकार एवं कलाकार
18.	राज्य परियोजना निदेशक (एस.एस.ए./ आर.एम.एस.ए.) हि०प्र०	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत स्टाफ की स्थिति

राज्य स्तरीय

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	प्रवक्ता	2	2	0
2.	प्रशिक्षित स्नातक	1	1	0
3.	सहायक / लिपिक	3	2	1

जिला स्तर पर

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	जिला कार्यक्रम समन्वयक / उपनिदेशक उच्च शिक्षा	12	12	0
2.	जिला परियोजना समन्वयक	11	0	11
3.	प्रवक्ता	3	0	3
4.	अनुभाग अधिकारी	14	0	14
5.	लिपिक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर	25	11	14
6.	चपरासी और चौकीदार	14	0	14
	कुल	79	23	56

अध्याय 3

विभिन्न गतिविधियों में प्रगति

i) वित्तीय लेखा जोरः

- केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान योजना आकार 4698.83 लाख रुपये था जिसमें से 3677.73 (केन्द्र सरकार से 2758 लाख रुपये तथा राज्य सरकार से 919.73 लाख रुपये) लाख रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त हुए।
- वर्ष 2010-11 हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए प्रारम्भ परियोजना अनुमोदन बोर्ड, भारत सरकार द्वारा 15684.31 लाख रुपये का योजनाकार किया था जिसे बाद में परियोजना अनुमोदन बोर्ड, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या एफ०एन० 1-32/2010-एस.सी.एच.-1 दिनांक 17-02-2011 के अनुसार घटाकर 12390.26 लाख रुपये कर दिया गया।
- संशोधित अनुमोदन के अन्तर्गत, भारत सरकार ने पहली क्रमशः पहली व दूसरी किस्त, 1218 लाख रुपये व 128 लाख रुपये के आवर्ती अनुदान के रूप में प्राप्त हुए तथा राज्य सरकार से राज्य का भाग 448.66 लाख भी प्राप्त हुए। कुल 4843.93 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्राप्त हुए।
- वर्ष 2011-12 में परियोजना अनुमोदन बोर्ड भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 11015.21 लाख रुपये (केन्द्र सरकार भाग 8261.41 लाख रुपये और राज्य सरकार भाग 2753.80 लाख रुपये) अनुमोदित किये। इसके अन्तर्गत परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने अनुपूरक गुणवत्ता योजना के अन्तर्गत 571.35 लाख रुपये अनुमोदित किये।
- वर्ष 2011-12 में अनुमोदित योजना आकार के विरुद्ध भारत सरकार ने 951.08 लाख रुपये पहली किस्त और 1150.15 लाख रुपये (171.40+733.75+245.00) दूसरी किस्त क्रमशः अक्टूबर 2011 और फरवरी 2012 में आवर्ती अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। राज्य सरकार से इससे सम्बन्धित राज्य का भाग 1221.74 लाख रुपये भी प्राप्त हुए।
- भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 में अनुमोदित अनावर्ती गतिविधियों के लिए 3665.21 लाख रुपये दिनांक 4-4-2012 को प्राप्त हुए। राज्य सरकार से भी इससे सम्बन्धित राज्य का भाग 1221.74 लाख रुपये प्राप्त हुए।
- भारत सरकार ने वित्तीय कमी होने के कारण वर्ष 2012-13 राज्य सरकारों को आवर्ती योजनाओं के लिए ही अनुमोदन तक ही सीमित कर दिया था और इसके लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति ने 4185.48 लाख रुपये आवर्ती योजनाओं के लिए अनुमोदित किया। भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 में आवर्ती योजनाओं के लिए 4024.33 लाख रुपये अनुमोदित किये।
- भारत सरकार ने वार्षिक कार्य योजना और बजट 2013-13 की अनुमोदित राशि से केन्द्र का भाग 2035.46 लाख रुपये और प्रदेश सरकार का भाग 678.48 लाख रुपये प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए।

ii) निर्माण कार्य

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत अधिकतर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक आकार बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें भौतिक व वित्तीय उपलब्धता अधिक मात्रा में शामिल है। इसलिए केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार भवन निर्माण कार्य स्कूल की भवन कमेटी द्वारा और किसी विशेष भवन निर्माण सम्बन्धी संस्था से कराया जाना ही अपेक्षित है। लेकिन पहला विकल्प स्कूल प्रबंधक कमेटी से निर्माण करवाना व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है क्योंकि इसमें 10 से 15 लाख की राशि शामिल हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत नए कार्यों की राशि इससे भी अधिक है अतः स्कूल प्रबंधन कमेटी से या कार्य करवाना संभव नहीं है। लेकिन छोटे मुरम्मत कार्य या 1-2 कक्षा कक्षाओं का कार्य स्कूल प्रबंधन कमेटी को दिया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए राज्य सरकार ने रा०मा०शि०अ० के तहत निर्माण कार्य योग्यता के आधार पर इस कार्य में शामिल कई संस्थाओं जैसे उपक्रम हिमुडा एवं केन्द्र सरकार के उपक्रम बीएसएनएल को ही इन कार्यों को आंबटित किया गया है। कुछ स्थानों पर देरी का मुख्य कारण उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होना है जिसके लिए वन विभाग एवं राजस्व विभाग से भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में अधिक समय लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों से अनुमति प्राप्त करनी होती है।

वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 69 राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्त किया था। इन पाठशालाओं के भवन निर्माण कार्य हिमुडा और बी०एस०एन०एल० को दिये गये थे 40 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य हिमुडा और 29 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य बी०एस०एन०एल० को दिया गया था जिनमें से 24 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 45 स्कूलों के भवन निर्माणाधीन है। जिन भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उनकी सूची निम्नलिखित है।

सूची जिनके भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

क्र० सं०	जिला	पाठशाला का नाम	खण्ड / तालुका / नगर निगम	निर्माण एंजेसी	प्रगति / विवरण इत्यादि
1	चम्बा	रा०उ०पा० जुमाहार	हरदासपुर	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
2	चम्बा	रा०उ०पा० बलकाबाग	चुवाड़ी	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
3	हमीरपुर	रा०उ०पा० पन्याली	नादौन	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
4	हमीरपुर	रा०उ०पा० जीवाणी	नादौन	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
5	हमीरपुर	रा०उ०पा० रंगस	नादौन	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
6	काँगड़ा	रा०उ०पा० चौकी	नुरपुर	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
7	काँगड़ा	रा०उ०पा० बाड़ी	डाडासीबा	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
8	काँगड़ा	रा०उ०पा० झीकली भेट	बैजनाथ	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
9	काँगड़ा	रा०उ०पा० टिककरी	पुंजरुखी	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण



राजकीय उच्च पाठशाला बड़ही, ज़िला कांगड़ा



राजकीय उच्च पाठशाला जिखली-बेठ, ज़िला कांगड़ा



राजकीय उच्च पाठशाला जीवानी, ज़िला हनीरपुर



राजकीय उच्च पाठशाला कायना, ज़िला शिमला

10	काँगड़ा	रा०उ०पा० वदूही	नुरपुर	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
11	काँगड़ा	रा०उ०पा० मुमता	नगराटा	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
12	मण्डी	रा०उ०पा० कमान्द	सुन्दरनगर	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
13	शिमला	रा०उ०पा० कायना	मशोबरा	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
14	शिमला	रा०उ०पा० चिखड़	मशोबरा	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
15	सिरमौर	रा०उ०पा० सरली	पाँवटा साहिब	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
16	सिरमौर	रा०उ०पा० सोडधियारी	सराँहा	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
17	ऊना	रा०उ०पा० वडेहर	ऊना	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
18	ऊना	रा०उ०पा० झनकौर	ऊना	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
19	काँगड़ा	रा०उ०पा० बरराम	लम्बागाँव	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
20	बिलासपुर	रा०उ०पा० वदगाँव	झंडुता	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
21	हमीरपुर	रा०उ०पा० लजयाना	नादौन	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
22	हमीरपुर	रा०उ०पा० गुलेला	हमीरपुर	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
23	हमीरपुर	रा०उ०पा० चमियाना	सुजानपुर	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण
24	काँगड़ा	रा०उ०पा० भनाला	रैत	बी०एस०एन०एल०	भवन निर्माण पूर्ण

- वर्ष 2010-11 के लिए, 45 राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी इन 45 स्कूलों में से प्रदेश सरकार ने केवल 35 स्कूलों को ही स्तरोन्नत किया। इनमें से 25 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य जहां पर भवन पर भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है बी०एस०एन०एल० को दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए, 351 राजकीय उच्च पाठशालाओं/राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के ढांचे को सुदृढ़ करने जैसे अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, प्रयोगशाला औजार, आर्ट/क्राफ्ट/कल्चर कक्ष, कार्यालय कक्ष, संघणक कक्ष और शौचालय व पानी की व्यवस्था के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। पहले स्तर में 111 स्कूलों में निर्माण कार्य, फर्नीचर और प्रयोगशाला औजारों की लागत 13.5 लाख रुपये तक थी। स्कूल प्रबन्धन समिति की जारी कर दी गई है तथा अन्य 241 स्कूलों में भूमि उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करने और निर्माण एजेंसी को अन्तिम रूप देने का कार्य उन्नति पर है।
- वर्ष 2011-12 के लिए भारत सरकार के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 22 स्कूलों को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने की अनुमति प्रदान की थी। राज्य सरकार ने इनमें से केवल 2 ही स्कूलों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सूची में से कार्यान्वित किया और 20 स्कूल अन्य स्थानों पर खोल दिये हैं। ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, 320 राजकीय उच्च/राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को अनुमोदित किया था।
- वर्ष 2011-12 में अनुमोदित अनावर्ती योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी न करने के कारण इन कार्यों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

- iii) **अध्यापक प्रशिक्षण:**— राज्य स्तर पर तीन विषयों जैसे कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के अध्यापक प्रशिक्षण तैयार किये गये हैं। आर०एम०एस०ए० के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से करवाया जा रहा है।
- प्रदेश परियोजना कार्यालय ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) और राज्य शिक्षा प्रबन्धन प्रशासन व प्रशिक्षण संस्थान (SIEMAT) को आर०एम०एस०ए० के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण में सहायता के लिए शामिल किया है। SCERT को माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, रोजगार पूरक योजना बनाने तथा उनके मार्ग दर्शन एवं परामर्श हेतु गाइड बुक तैयार करने का कार्य प्रस्तावित किया है।
 - राज्य परियोजना कार्यालय ने कार्यरत मुख्याध्यापकों, प्रधानाचार्यों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को ज्ञात किया और मुख्याध्यापकों, प्रधानाचार्यों और अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल बनाए।
 - राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक और राजकीय उच्च पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों का पांच दिनों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर किया गया।
 - इस प्रशिक्षण का मुख्य केन्द्र स्कूल के मुखियों को बच्चों की पठन-पाठन क्रिया, शिक्षा का अधिकार कानून -2009, स्कूल प्रबन्धन, प्रशासन प्रबन्धन, खाता सम्बन्धी, स्कूल के प्रभावित ढंग से कार्य करने में स्कूल प्रबन्धन समिति का योगदान, स्कूल विकास योजना का बनाना, पब्लिक मनेजमेन्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम (PMIS) और सूचना का अधिकार और स्कूल नेतृत्व संवर्धन पर था।
 - अध्यापक प्रशिक्षण को गुणात्मकता को सुधारने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय ने गणित और विज्ञान विषय में RIE अजमेर के सहयोग से अध्यापक प्रशिक्षकों (मास्टर ट्रेनर) का समूह तैयार करवाया।
 - अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के मॉड्यूल तैयार किये गये।
- iv) **लिंग विशिष्ट गतिविधियाँ :**— राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी क्रियाकलाप लिंग विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए चलाए जा रहे हैं। लिंग विशिष्टता के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं।
- सभी अध्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल लिंग विशिष्टता को ध्यान में रखकर बनाए गये हैं।
 - पांच कन्या छात्रावास निर्माणाधीन हैं।
 - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सामान्य रूप से चले आ रहे कार्यक्रमों जैसे एन०एस०ए० और एन०सी०सी० कार्यक्रमों में सहयोग किया जा रहा है।

अध्यापक प्रशिक्षण



मुख्याध्यापकों का प्रशिक्षण



सामुदायिक सहभागिता



- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से विद्यालय के बाहर रहने वाली बालिकाओं को SABLA योजना के तहत लिया जा रहा है।
- v) **स्कूल प्रबन्धन समितियां एवं समुदायिक जागरूकता** :- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूल स्तर पर सभी क्रियाकलापों को स्कूल प्रबन्धन समिति प्रगति की मॉनिटरिंग कर रही है।
 - स्कूल प्रबन्धन समितियों को निश्चित समय उपरान्त स्कूलों की देख-रेख के लिए मनोनीत और स्कूल अधिकारियों को समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों को सर्व शिक्षा अभियान के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया है।
- vi) **शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE)** : वर्ष 2012-13 के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के पत्रों को अपलोड किया जा चुका है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों का प्रयोग वार्षिक कार्य योजना और बजट के लिए किया गया है।
- vii) **शैक्षिक गुणवत्ता के लिए अन्य उठाए गये कदम**
 - एन. सी. ई. आर. टी. / ड्राफ्ट सीमेंट / न्यूपा और हिप्पा आदि संस्थान राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर सेवारत शिक्षाविदों को शैक्षिक विदों को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।
 - पाठ योजना द्वारा अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया को थिंक इट ओवर परियोजना राज्य के 68 स्कूलों में लागू किया जाएगा और यह भी निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष मई 2013 में तुलनात्मक अध्ययन SCERT के द्वारा करवाने का भी निर्णय लिया गया है।
 - अध्यापकों के सभी प्रशिक्षणों में गणक व सूचना प्रौद्योगिकी और गणक के सहयोग से सीखने को कक्ष प्रक्रिया को सुधारने के लिए मुख्य औजार, सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रयोजन का सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।



अध्याय-4

मॉडल स्कूल योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला सिरमौर में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े शैक्षिक खण्डों में 05 (पाँच मॉडल स्कूल खोले गये हैं जहाँ पर ग्रामीण महिला साक्षरता दर 46.13 प्रतिशत से कम तथा लिंग अनुपात 21.59 प्रतिशत से ज्यादा है। इन स्कूलों का विवरण यथा-निम्न है:

क्र० सं०	जिला का नाम	खण्ड का नाम	स्कूल का नाम
1.	चम्बा	तीसा	मिडल स्कूल खुशनगरी
		मैहला	उच्च पाठशाला भरियांकोठी
		सलूणी	उच्च पाठशाला डांड
		पांगी	मिडल स्कूल हिलौर
2.	सिरमौर	शिलाई	उच्च पाठशाला कण्डियारी

मानक व्यय एवं पूंजी प्रवाह-

(90% भारत सरकार एवं 10% राज्य सरकार) उपर्युक्त योजनाओं को 90:10 की साझेदारी से राज्य में चलाया जा रहा है।

केन्द्रीय हिस्सेदारी प्रतिरूप 90:10 के अन्तर्गत अनावर्ती प्रथम किशत 6.78 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार से 45 लाख रुपये वित्त वर्ष 2009-10 में प्राप्त हुए थे जिसमें प्रत्येक स्कूल की हिस्सेदारी 1.356 करोड़ रुपये होगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2011.12 में पत्र संख्या ई०डी०एन०-एच (4)-3(3) योजना दिनांक 10-05-11 से 15 लाख रु राज्य भाग के लिए दिए।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक प्रत्येक मॉडल स्कूल स्थापित किये जाने हेतु अनुमानित अनावर्ती लागत मु० 3.02 करोड़ रुपये आंकी गई है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय हिस्सेदारी प्रतिरूप 90:10 के अन्तर्गत आवर्ती लागत मु० 0.75 करोड़ प्रति वर्ष अनुमानित की गई है।

GIAC (ग्रांट इन एड कमेटी) ने अपनी बैठक में भारत सरकार द्वारा क्षेत्र/स्थान विशेष के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को अपनाया/लागू करना चाहते हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन भी नियमानुसार मापदण्डों के अनुरूप पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में आने वाली उच्च लागत के अनुरूप व्यय की आज्ञा देती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य में मु० 3.62 करोड़ रुपये प्रति विद्यालय (20 प्रतिशत उच्चतर लागत मापदण्डों के अनुसार) की दर से मु० 18.10 करोड़ रुपये पांच मॉडल स्कूलों को खोले/स्थापित किये जाने की संस्तुति की है। हिमाचल प्रदेश एक विशेष राज्य के अन्तर्गत आता है जिसके लिए केन्द्रीय तथा राज्य हिस्सेदारी प्रतिरूप 90:10

के तहत मु० 16.29 करोड़ एवं 1.81 करोड़ क्रमशः हैं। इसके तहत पुनः अनुमोदित वित्त लेखा निम्न प्रकार से होगा :-

राशि करोड़ रुपये में						
क्र० सं०	अनावर्ती राशि	आवर्ती राशि	केन्द्र अनावर्ती राशि	राज्य अनावर्ती राशि	केन्द्र आवर्ती राशि	राज्य आवर्ती राशि
1.	18.10	3.75	16.29	1.81	3.375	0.375

इस योजना के तहत कुल राशि का तीन प्रतिशत प्रबन्धन, अनुश्रवण, अनुसंधान एवं मुल्यांकन पर व्यय होगा तथा वहन आवर्ती राशि से किया जायेगा।

प्रगति का विवरण इस प्रकार से है:

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रस्तावित इन पांच मॉडल स्कूलों के लिए शिक्षक एवं गैर शिक्षक वर्ग के लिए 170 पदों का सृजन अधिसूचना संख्या : शिक्षा-।।ग(3)-1/2005 दिनांक 01.06.2010 द्वारा किया जा चुका है। अधिसूचना संख्या : शिक्षा-।।ग(3)-1/2005 दिनांक 29.10.2011 के तहत अनुमोदित 2 पद प्रवक्ता/पीजीटी (भूगोल), 3 पद प्रवक्ता/पीजीटी (इतिहास) के स्थान पर 5 पद प्रवक्ता/पीजीटी (वाणिज्य) के स्वीकृत किये हैं। विभाग ने इन स्कूलों में काम चलाने के लिए कुछ शिक्षक एवं गैर शिक्षक प्रतिनियुक्ति आधार पर तैनात किये हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2011 में निर्माण ईकाई हिमुडा तथा हिमुडा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा हिमुडा को 7.24 करोड़ रुपये मॉडल स्कूल भवन बनवाने हेतु जारी किए हैं। जिला सिरमौर के मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कण्डियारी का कार्य प्रगति पर है तथा चार मॉडल स्कूलों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है।



अध्याय-5

बालिका छात्रावास योजना

केन्द्र प्रायोजित योजना (90:10) के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के छात्रावास निर्माण एवं लड़कियों के लिए रहने व खाने-पीने (बोर्डिंग एवं हॉस्टल) की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए है। इस योजना के तहत स्कूलों में नवीं से बाहरवीं तक पढ़ने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा के नीचे रहने (बी.पी.एल.) वाले परिवारों की लड़कियों को लाभान्वित किया जायेगा। यह नवीं से बाहरवीं की छात्राओं को शिक्षा के लिए अधिक से अधिक पहुँच प्रदान करने तथा बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और राज्य में शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों (ब्लॉकों) में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लिंग असमानता को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

योजना के उद्देश्य

- 1 शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों (ब्लॉकों) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों की छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना।
- 2 समाज के अन्य वर्ग के बराबर शैक्षिक विकास प्रदान करने के लिए।
- 3 माध्यमिक स्तर पर वंचित समुदाय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के बीच लिंग असमानता दूर करने के लिए।
- 4 सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रावधान के साथ माध्यमिक शिक्षा योजनाओं के साथ स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित करना ताकि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाली लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय की सुविधा का आश्वासन मिले।
- 5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से अधिक लड़कियों को सशक्त व आकर्षित करना।
- 6 अल्पसंख्यक समुदायों, विकलांग, अनाथ लड़कियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
- 7 आठवीं कक्षा के बाद छात्राओं के विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने के लिए।

राज्य में बालिका छात्रावास

क्र० सं०	पाठशाला का नाम	पिछड़े खण्ड का नाम	जिला
1	रा०व०मा०पा० शिलाई	शिलाई	सिरमौर
2	रा०व०मा०पा० साँच	पाँगी	चम्बा
3	रा०व०मा०पा० मैहला	मैहला	चम्बा
4	रा०व०मा०पा० हिमगिरी	सलूणी	चम्बा
5	रा०व०मा०पा० तीसा	तीसा	चम्बा

मानक व्यय एवं पूंजी प्रवाह—

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक रूप से पिछड़े पाँच खण्डों में कन्या छात्रावास बनाने हेतु @ 42.50 लाख रुपये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अनुरूप अनुमोदित किए गए हैं तथा इसमें आवर्ती राशि @ 14.27 लाख रुपये का प्रावधान है।

केन्द्र सरकार द्वारा पहली अनावर्ती राशि 95.62 रुपये राज्य सरकार को प्राप्त हुई जिसके अनुरूप राज्य सरकार ने 6.37 लाख चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी किया है।

प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

शैक्षिक रूपसे पिछड़े खण्ड (ब्लाकों) में बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण से सम्बन्धित मुख्य मुद्दा भूमि की अनुउपलब्धता है। क्योंकि अब सभी खाली जमीन वन भूमि है, इसलिए वन विभाग की मंजूरी आवश्यक है, जिसमें बहुत समय लगता है। बालिका छात्रावास की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है:

क्र०सं०	बालिका छात्रावास का नाम	पिछड़े खण्ड व जिले का नाम	वर्तमान स्थिति
1	रा०व०मा०पा० शिलाई	शिलाई (सिरमौर)	निर्माण कार्य प्रगति पर
2	रा०व०मा०पा० साँच	पाँगी (चम्बा)	भूमि मंजूर और दाखिल खारिज की प्रक्रिया में
3	रा०व०मा०पा० मैहला	मैहला (चम्बा)	निर्माण कार्य प्रगति पर
4	रा०व०मा०पा० हिमगिरी	सलूणी (चम्बा)	निर्माण कार्य प्रगति पर
5	रा०व०मा०पा० तीसा	तीसा (चम्बा)	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनवीपी) वन विभाग को जमा कर दिया गया है और मंजूरी प्रतीक्षित

सोनी एंड रूस्तोगी चार्टर्ड ऐकाउटैण्ट
एफ०आर० नं० 004737एन०
ई-मेल sksonifca@yahoo.com

नित्य निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स नं० 91.177-2624188, 2622588
मो० 94180-01500 94181-88588

लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मिशन निदेशक,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)
डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला (हि०प्र०)

हमने समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या 120/95 दिनांक 03.11.1995 के अंतर्गत पंजीकृत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति लालपानी शिमला (हि०प्र०) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तुलन पत्र 31.03.2013 के अनुसार, निर्दिष्ट तिथि अनुसार उक्त समिति के आय व व्यय खाते तथा प्राप्त एवं भुगतान खाते का परीक्षण किया जो उक्त समिति द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों के मिलान में है।

हमने लेखा परीक्षा स्थापित परीक्षण मानकों तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की लेखा पुस्तक के अनुसार किया। उन मानकों के अनुसार ऑडिट योजना व कार्य किया गया जो तर्कपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं कि वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटिपूर्ण टिप्पणियों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण जांच आधार, वित्तीय विवरण में राशि और अभिव्यक्ति सहायक साक्ष्य सम्मिलित हैं। लेखा परीक्षा में अपनाए गए लेखा सिद्धांतों का अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशिष्ट अनुमान तथा पूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होते हैं। हमें यह विश्वास है कि हमारे द्वारा कि गई लेखा परीक्षा इस मत को तर्क पूर्ण आधार प्रदान करती है।

हमारे द्वारा किया गया ऑडिट हमें प्रदान किये गये टर्म ऑफ रिफरेन्स के अनुसार है। हमारे मतानुसार और महत्वपूर्ण लेखा सिद्धांतों तथा लेखों पर टिप्पणियां जो प्रबंधन पत्र में दी गई हैं के अतिरिक्त वर्ष 31/3/2013 के अंत में बने वित्तीय विवरण तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) वर्ष 31/3/2013 को समाप्त हुए वर्ष की निधियों के स्ट्रॉतो और उपयोग का सही व वास्तविक विवरण प्रस्तुत करता है।

सोनी एंड रूस्तोगी
चार्टर्ड ऐकाउटैण्ट
एफ०आर० नं० 004737एन०

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०नं० 082576
एफ०आर०एन० 004737एन०

सोनी एंड रुस्तोगी चार्टर्ड ऐकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०
ई-मेल sksonifca@yahoo.com

नित्य निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स नं० 91.177-2624188, 2622588
मो० 94180-01500 94181-88588

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से सम्बन्धित वर्ष 2012-13 का वित्तीय विवरण जो यहां संलग्न हैं का भारतीय सन्दी लेखाकार संस्थान के नियमों एवं मानकों के अनुसार ऑडिट किया गया है तथा तदानुसार पुष्टि हेतु लेखों की जांच, अभिलेख, आन्तरिक जांच एवं ऑडिट की अन्य विधियों को सम्मिलित किया गया।

- 1) अभिव्यक्तियाँ एवं टिप्पणियाँ जो इसी तिथि के अनुसार संलग्न किए गए तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं के अतिरिक्त स्रोत राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की गतिविधियों के लिए है।
- 2) वित्तीय विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

उपरोक्त वित्तीय विवरण के ऑडिट के समय सम्बद्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया तथा वे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सहायक प्रत्याहरण हेतु विश्वसनीय हैं।

सूचना एवं विवेचना के आधार पर वांछित परीक्षण ऑडिट से हमारी जानकारी के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय विवरण तथा अलग से दी गई अभिव्यक्तियां वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया का एक सही तथा स्पष्ट दृश्य दर्शाती है।

सोनी एंड रुस्तोगी
चार्टर्ड ऐकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०नं० 082576
एफ०आर०एन० 004737एन०

सोनी एंड रूस्तोगी चार्टर्ड ऐकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०
ई-मेल sksonifca@yahoo.com

नित्य निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स नं० 91.177-2624188, 2622588
मो० 94180-01500 94181-88588

अधिप्राप्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए प्रयोग किए गए अधिप्राप्ति नियम का अध्ययन किया जो वर्ष 2012-13 के हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के अभिलेखों और जिलों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से उदग्रहण के आधार पर है। हम प्रमाणित करते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध और अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका में निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया की अनुपालना की गई है।

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

सोनी एंड रूस्तोगी
चार्टर्ड ऐकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०
एस के सोनी
सहकर्ता
एम०नं० 082576
एफ०आर०एन० 004737एन०

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-राज्य
मिशन प्राधिकरण

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विशेष लेखनीतियां व लेखों पर टिप्पणियां

1. समिति के लेखों को उपार्जित प्रणाली के आधार पर अनुरक्षित किया गया है। व्यय कुछ मामलों में नगदी आधार को छोड़ कर मुख्यतः उपार्जित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

2. **सहायता अनुदान
पूँजीगत व्यय**

अनुदान राशि से स्थायी सम्पतियां क्रय करने पर जिन्हें समिति की सम्पतियां माना जाता है के अनुसार संचित पूंजी का सृजन किया जाता है। स्थायी सम्पतियों पर घिसावट का प्रावधान नहीं है।

राजस्व व्यय

(i) राजस्व अनुदान को वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि की सीमा तक आय माना गया है। उपयोग नहीं की गई राशि को लेखा पुस्तकों में अलग से दर्शाया जा रहा है।

(ii) राजस्व व्यय को जिसे वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया/अनुमोदित किया गया सामान्यतः वर्ष में व्यय माना गया है।

लेखों पर टिप्पणियां

1. **अनुदान उपयोगिता** : विभिन्न स्कूलों को कई तरह की गति विधियों के लिए जारी किया गया अनुदान स्कूलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय में रिकार्ड किया गया है। जबकि वर्ष 2011-12 तक स्कूलों को जारी सभी अनुदानों को बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र के ही खर्च में दर्ज किया जाता था। बिना खर्च प्राप्त राशि को इस वर्ष की आय में दर्ज और खर्च दर्ज किया है और अनुदान का उपयोग उस तक कम किया गया है।

2. स्थाई सम्पतियों की भौतिक जांच (मुख्य कार्यालय को छोड़कर इस वर्ष के अंकेक्षण के तहत नहीं की गई है।)

3. अग्रिम भुगतान के रूप में क्रमशः 9,54,05,698.00 रुपए और 8,03,60,500.00 रुपए भारत सरकार संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को निर्माण कार्य हेतु दिये गये हैं जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये राशियां चालू सम्पतियों में दर्शायी गई है।

4. दर्शाये गये शेष पुष्टिकरण के आधार पर पुनः प्राप्त और देय हैं।

5. पिछले वर्षों के आंकड़ों को जहाँ जरूरी हुआ पुनः व्यवस्थित किया गया है।

सोनी एंड रूस्तोगी
चार्टर्ड ऐकाउंटैण्ट
एफ०आर० नं० 004737एन०

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०नं० 082576
एफ०आर०एन० 004737एन०

सोनी एंड रूस्तोगी चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०
ई-मेल sksonifca@yahoo.com

नित्य निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स नं० 91.177-2624188, 2622588
मो० 94180-01500 94181-88588

31/3/2013 को समाप्त वर्ष के लिए आर.एम.एस.ए के अधीन
उपयोगिता प्रमाण पत्र

राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश		
क्र०सं०	स्वीकृति पत्र संख्या और तारीख विवरण	राशि
ए	सहायता अनुदान- भारत सरकार अंश	
	1) संख्या: एफ 1-22/2010-एससीएच.1 दि. 23.03.2012	366521000.00
	2) संख्या: एफ1-93/2012-एससीएच.1 (STSP) दि. 27.12.2012	6280000.00
	3) संख्या: एफ1-93/2012-एससीएच.1 (SCPSC) दि. 27.12.2012	40824000.00
	4) संख्या: एफ1-93/2012-एससीएच.1 (Gen.) दि. 27.12.2012	111168000.00
	5) संख्या: एफ1-93/2012-RMSA 1 सामान्य दि. 28.02.2013	31800000.00
	6) संख्या: एफ-1-93/2012-RMSA 1 (STSP) दि. 28.02.13	1800000.00
	7) संख्या: एफ-1-93/2012-RMSA 1 (SCPSC) दि. 28.02.13	11674000.00
	योग	570067000.00
बी	सहायता अनुदान-राज्य सरकार अंश	
	1) सं०ई०डी०एन०-एच(4)3.(सी) 2010-11 दि.31.05.2012	122174000.00
	2) सं०ई०डी०एन०-एच(4)3.(सी) 2010-11 दि. 05.03.2013	2094000.00
	3) सं०ई०डी०एन०-एच(4)3.(सी) 2010-11 दि. 05.03.2013	37056000.00
	4) सं०ई०डी०एन०-एच(4)3.(सी) 2010-11 दि 05.03.2013	13608000.00
	5) सं०ई०डी०एन०-एच(4)3.(सी) 2010-11 दि.26.03.2013	3892000.00
	6) सं०ई०डी०एन०-एच(4)3.(सी) 2010-11 दि.26.03.2013	1060000.00
	7) सं०ई०डी०एन०-एच(4)3.(सी) 2010-11 दि.26.03.2013	600000.00
	योग	190024000.00
	कुल योग (ए+बी)	760091000.00
सी	पिछले वर्ष का अव्यय शेष	416183809.50
डी	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	26144940.00
ई	अन्य प्राप्तियां	1478581.00
	कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई)	1203898330.00
	घटाव : खर्च 2011-12	428971193.00
	अव्यय शेष	774927137.50
प्रस्तुतकर्ता		
	अग्रिमें	318273417.50
	शुद्ध अव्यय शेष (रोकड़ एवं बैंक शेष)	456760689.00
	चालू देनदारियां	106969.00
	योग	774927137.50

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के पत्र संख्या के माध्यम से वर्ष 2012-13 के लिए मैबर सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के पक्ष में मंजूर किए गए अनुदान के रूप में 76,00,91,000.00 (मात्र छिहत्तर करोड़ इकारवे हजार) रूपये और 2,61,44,940.00 (मात्र दो करोड़ इकासठ लाख चौवालिस हजार नौ सौ चालीस) रूपये वर्ष 2012-13 अवधि के दौरान अर्जित ब्याज के रूप में तथा 14,78,581.00 (चौदह लाख अटठत्तर हजार पाँच सौ इक्यासी) रूपये अन्य प्राप्तियों के रूप में और 41,61,83,809.50 (मात्र इक्तालीस करोड़ इकासठ लाख तिरयासी हजार आठ सौ नौ रूपये पचास पैसे) पिछले वर्ष की शेष राशि के रूप में अर्जित हुए। जिसमें से 42,89,71,193.00 (बयालीस करोड़ नवासी लाख इक्हत्तर हजार एक सौ तिरानवे रूपये) जिस मद के लिए मंजूर हुए थे उपयोग कर लिये गये हैं। और शेष राशि 77,49,27,137.50 (सत्तहत्तर करोड़ उनचास लाख सत्ताईस हजार एक सौ सैंतीस रूपये पचास पैसे में से 31,82,73,417.50 (इक्कतीस करोड़ बयासी लाख तिहत्तर हजार चार सौ सत्तारह रूपये पचास पैसे का अग्रिम भगतान कम करने और चालू वित्त वर्ष की 1,06,969.00 (एक लाख छः हजार नौ सौ उनहत्तर रूपये जमा करने के पश्चात खाते में शेष बचे 45,67,60,689.00 (पैंतालीस करोड़ सतासठ लाख साठ हजार छः सौ नवासी रूपये) वित्त वर्ष के अन्त में अगले वर्ष के अन्त में अगले वर्ष की सहायता अनुदान राशि में समायोजित किये जायेंगे।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस सम्बन्ध में अपने आप को आश्वस्त कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान मंजूर किया गया था उनकी पूर्ति की गई है और यह देखने के लिए कि निधि वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है, जिसके लिए वह स्वीकृत की गई थी मैंने निम्न जांच की है।
3. अपनाई गई जांच कसौटियां
 - अ. लेखों का लेखापरीक्षित विवरण (प्रति संलग्न)
 - ब. उपयोगिता प्रमाणपत्र
 - स. प्रगति रिपोर्ट (प्रति संलग्न)

स्थान : शिमला

दिनांक : 09/12/2013

हस्ताक्षर

राज्य परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

सोनी एंड रुस्तोगी चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०
ई-मेल sksonifca@yahoo.com

नित्य निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स नं० 91.177-2624188, 2622588
मो० 94180-01500 94181-88588

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

हमारे समक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत बहियों और अभिलेखों के बल पर उक्त विवरण का हमने सत्यापन कर लिया है और यह पाया कि वह तदानुसार तैयार किया गया है ।

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

सोनी एंड रुस्तोगी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०
एस के सोनी
सहकर्ता
एम०नं० 082576
एफ०आर०एन० 004737एन०

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)
डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला (हि०प्र०)
समेकित तुलन (31 मार्च 2013 तक)

पूर्व वित्तीय वर्ष	देयताएं/आरक्षित राशि	राशि रू०	चालू वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2011-12	सम्पतियाँ/स्थाई सम्पति (आरम्भिक गतिविधियों के तहत	राशि रू०	चालू वर्ष
4,791,905.00	स्थाई सम्पति		142,017,843.00	136,330.00	फर्नीचर और फिक्सचर (भवन रु. 48121852 WIP सहित	142,873.00 136,573,852.00	
8,190,957.00 8,190,957.00	जमा ब्याज वर्ष के दौरान प्राप्त	26,144,940.00 26,144,940.00	4,655,575.00	4,655,575.00	कम्प्यूटर/आफिस का सामान	92,551.00 5,208,567.00	142,017,843.00
8,190,957.00	अव्यय अनुदान को हस्तांतरित	26,144,940.00		295,124,783.50	अग्रिमे संलग्न सूची के अनुसार		318,273,417.50
	अव्यय अनुदान			211,318,241.00	रोकड़ एवं बैंक शेष संलग्न सूची के अनुसार		456,760,689.00
416,183,809.50	आरम्भिक शेष						
	जमा वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ						
	केन्द्र सरकार	570,067,000.00					
	राज्य सरकार	190,024,000.00					
	वि. षेध आय	1,176,274,809.50					
	अव्यय अनुदान/ आय व व्यय का शेष	427,492,612.00 748,782,197.50					
	जमा ब्याज	26,144,940.00	774,927,137.00				
7,215.00	चालू देयताएं		106969.00				
90,252,000.00	उच्चतर व प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक का वेतन देय						
511,234,929.50	कुल		917,051,949.50	511,234,929.50	योग		917,051,949.50

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)

डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला (हि०प्र०)

31.03.2013 तक समाप्त वर्ष के लिये समेकित आय व्यय का लेखा

पूर्व वित्तीय वर्ष 2011-12	व्यय	राशि रू०	चालू वर्ष 2011-12	पूर्व वर्ष 2011-12	आय	राशि	चालू वर्ष 2012-13
1,495,865.00	आवर्ती आय पूर्व गतिविधियाँ			199,057,007.00	तुलन पत्र के हस्तान्तरित उपयोग किया गया, अनुदान		427,492,612.00
29,700,620.00	वार्षिक स्कूल सहायता अनुदान	81,202,457.00					
7,485,519.00	छोटी मुरम्मत अनुदान	6,016,367.00			पूर्व वर्ष में प्रदान की गई अनुदान राशि का अतिरिक्त व्यय अब शोधित प्राप्त आय / प्राप्त ब्याज		1476490.00
8,829,843.00	अध्यापक प्रशिक्षण	1,248,041.00					
913,721.00	शैक्षिक भ्रमण	1,708,478.00					2,091.00
	खेल उपकरण व्यय	1,240,000.00					
6,018,053.00	एम एम ई आर व्यय	4,019,512.00					
144,672,000.00	अध्यापक / स्कूल स्टाफ वेतन अनावर्ती खर्च (पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत	196,310,400.00	291,745,255.00	58,614.00	बैंक द्वारा स्कूलों से		26,009,820.00 135,120.00
	फर्नीचर और फिक्सचर	6,543.00	137,225,938.00	8,190,957.00			
	भवन सहित कैपिटल WIP रु 481,218,52	136,573,852.00	26,144,940.00				
	स्कूल सशक्तीकरण						
	कम्प्यूटर / कार्यालय का समान	92,551.00					
	बैंक द्वारा ब्याज सी/एफ तुलन पत्र	552,992.00					
8,190,957.00							
207,306,578.00		कुल रू०	455,116,133.00	207,306,578.00		कुल रू०	455,116,133.00

31.03.2013 तक समाप्त वर्ष के लिये समेकित प्रप्ति और भुगतान लेखा

पूर्व वित्तीय वर्ष 2011-12	प्राप्तियाँ	राशि रू०	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वित्तीय वर्ष 2011-12	भुगतान	राशि रू०	चलू वर्ष 2012-13
	गत शेष				आवर्ती खर्च (व्यय)		
127962182.00	रोकड़ और बैंक बकाया	सहायता अनुदान	211,318,241.00	1495865.00	पूर्व गतिविधियाँ	0.00	
	सहायता अनुदान			2,9700,620.00	वार्षिक स्कूल अनुदान	812,02457.00	
1,22,053,999.00	राज्य सरकार से प्राप्ति	1,90,024,000.00		7,485,519.00	छोटी मुरम्मत अनुदान	6016367.00	
222,923,000.00	केन्द्र सरकार से प्राप्ति	570,067,000.00	760,091,000.00	8,829,843.00	अध्यापक प्रशिक्षण	1248041.00	
	पूर्व वर्ष में प्रदान की गई अनुदान का अतिरिक्त व्यय अब शोधित		1,476,490.00	913,721.00	शैक्षिक भ्रमण	1708478.00	
				—	खेल उपकरण व्यय	1240000.00	
				—	एम एमईआर व्यय	4019512.00	
				6,018,053.00	अध्यापक / स्कूल / स्टाफ वेतन	196310400.00	291745255.00
				54,420,000.00			
8,190,957.00	बैंक ब्याज से प्राप्ति		26,009,820.00		अनावर्ती खर्च (आरम्भिक)	6,543.00	
58,614.00	बैंक ब्याज से प्राप्ति विविध आय		135,120.00		फर्नीचर और फिक्सचर भवन	136,573,852.00	
			2,091.00		स्कूल सशक्तिकरण कम्प्यूटर/ कार्यालय उपकरण	92,551.00	137,225,938.00
						552,992.00	23,148,634.00
							90,152,246.00
				160,965,389.00	अग्रिमों में बढ़ौतरी देयताओं का भुगतान		
				41,501.00	अन्तिम शेष		
				211,318,241.00	नकदी एवं बैंक शेष (अनु. के अनुसार)		456,760,689.00
481,188,752.00	कुल		999,032,762.00	481,188,752.00	कुल		999,032,762.00

सोनी एंड रूस्तोगी, चार्टर्ड ऐकाउंटेंट, एफ०आर० नं० 004737एन० एस के सोनी, सहकर्ता, एम०नं० 082576, एफ०आर०एन० 004737एन०

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत

31.03.2013 के अनुसार व्यय की अनुसूची

अनुसूची ए

विवरण	एस० पी० ओ०	शिमला	ऊना	चम्बा	कुल्लू	मण्डी	सिरमौर	हमीरपुर	किन्नौर	बिलासपुर	सोलन	काँगड़ा	लाहौल स्पिति	कुल
आवर्ती व्यय														
आरम्भिक गतिविधियाँ														
वार्षिक स्कूल सहायता अनुदान		17760816.00	5790417.00	5723053.00	5350000.00	12991986.00	9100000.00	6750000.00	1259322.00	4093476.00	6226472.00	4859121.00	1297794.00	8120245.00
मुरम्मत सहायता		4589501.00	233012.00	376790.00		29236.00	474750.00	27000.00				108203.00	177875.00	6,016367.00
अध्यापक प्रशिक्षण	49262.00			240550.00			179704.00	30285.00	41765.00		20386.00	609089.00	77,000.00	1248041.00
शैक्षिक भ्रमण		59,8895.00	100279.00	314600.00	21200.00	4800.00	118200.00	57600.00				476904.00	16,000.00	1,708478.00
खेल कूद उपकरण व्यय			140000.00	160,000.00	100000.00	320000.00	140000.00	120000.00		120000.00	140000.00			1240000.00
एम. एम. आर. व्यय	3149594.00	120806.00	112622.00	214046.00	15557.00	3474.00	3289.00	186756.00	41887.00	29349.00	26746.00	66096.00	49293.00	4019512.00
अध्यापक / स्कूल स्टाफ वेतन		16579200.00	17952000.00	10137600.00	17635200.00	25132800.00	35059200.00	15206400.00	3062400.00	10137600.00	15628800.00	29779200.00		196310400.00
कुल आवर्ती	3198853.00	39649216.00	24328330.00	17166639.00	23121957.00	38482296.00	45075143.00	22378041.00	4405374.00	14380425.00	22042404.00	35898613.00	1617962.00	291745255.00
अनुसूची बी०														
अनावर्ती खर्च														
पूर्व गतिविधियों के अन्तरगत														
फर्नीचर और फिक्सचर														
फर्नीचर और फिक्सचर वर्ष के दौरान											6543.00			6543.00
सिविल कन्स्ट्रक्शन														
वर्ष के दौरान (पूजी WIP रू० 48121852)		11705000.00	21063000.00	9149000.00	1915000.00	9341000.00	15836000.00	24475000.00		7481000.00	10959852.00	24649000.00		136573852.00
स्कूलों की सशक्तीकरण			92551.00											92551.00
कम्प्यूटर / ऑफिस का सामान		311631.00	142141.00		73275.00		17325.00				8620.00			552992.00
अनावर्ती खर्च		12015631.00	21297592.00	9149000.00	1988275.00	9341000.00	15853325.00	24475000.00		7481000.00	10975015.00	24649000.00		137225938.00
कुल अनावर्ती एवं आवर्ती खर्च वर्ष के दौरान	3198853.00	51665849.00	45626022.00	26315639.00	25110232.00	47823296.00	60928468.00	46853041.00	4405374.00	21861425.00	33017419.00	60547613.00	1617962.00	428971193.00
अनुसूची बी०														
गत अनावर्ती खर्च														
फर्नीचर और फिक्सचर 1.4.2012 के अनुसार	36910.00						99420.00							136330.00
फर्नीचर और फिक्सचर वर्ष के दौरान											6543.00			6543.00

सिविल कन्सट्रक्शन														
वर्ष के दौरान (पूजी WIP रू० 48121852)		11705000.00	21063000.00	9149000.00	1915000.00	9341000.00	15836000.00	24475000.00		7481000.00	10959852.00	24649000.00		136573852.00
स्कूलों का सशक्तिकरण			92551.00											92551.00
कम्प्यूटर / ऑफिस का सामान 1.4.2012 के अनुसार	749527.00	325504.00	325504.00	325504.00	325504.00	325504.00	325504.00	325504.00	325504.00	325504.00	325504.00	325504.00	325504.00	4655575.00
कम्प्यूटर / ऑफिस का सामान वर्ष के दौरान		311631.00	142141.00		73275.00		17325.00							552992.00
कुल अनावर्ती खर्च	766437.00	12030504.00	21623196.00	9474504.00	2240504.00	9666504.00	16260924.00	24800504.00	325504.00	7806504.00	11291899.00	24974504.00	325504.00	142017843.00
अनुसूची सी०														
व्याज प्राप्ति का विवरण														
गत शेष 1.4.2012 के अनुसार	8447900.00	334538.00	106271.00	210895.00	59014.00	149696.00	63171.00	76297.00	56980.00	124734.00	170226.00	797510.00	43291.00	10640523.00
व्याज प्राप्ति 2012-13 के दौरान	24534466.00	241615.00	72209.00	59470.00	55657.00	182306.00	40653.00	132967.00	50693.00	124000.00	87585.00	397990.00	30209.00	26009820.00
चालू वर्ष में स्कूलों से प्राप्त व्याज				135120.00										135120.00
कुल	32982366.00	576153.00	178480.00	405485.00	114671.00	332002.00	103824.00	209264.00	107673.00	248734.00	257811.00	1195500.00	73500.00	36785463.00
अनुसूची डी०														
अनुदान का उपयोग वर्ष के दौरान सहायता	गत शेष 01.04. 2012 के अनुसार	वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान	प्राप्त व्याज वर्ष के दौरान	अन्य प्राप्तियां वर्ष के दौरान	शेष 31.03. 2013 तक									
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अर्न्तगत	41,18,3809.50	760091000.00	26144940.00	1478581.00	428971193	774927137.50								

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुसूची -डी (31.03.2013 तक बैंक में जमा रोकड़ की सूची)			
बैंक में रोकड़			
पंजाब नेशनल बैंक			
एस०पी०ओ० खाता सं० 540594			359,471,939.00
एस०पी०ओ० खाता सं० 46332			32,776,175.00
ऊना खाता सं० 32009			3,806,410.00
शिमला खाता सं० 147947			8,547,313.00
चम्बा खाता सं० 72493			6,417,565.00
मण्डी खाता सं० 4086876			1,284,325.00
कुल्लु खाता सं० 5041736			725,214.00
हमीरपुर खाता सं० 9264190			4,606.00
किन्नौर खाता सं० 8243762			3,147,394.00
बिलासपुर खाता सं० 8935448			3,722,879.00
सोलन खाता सं० 001338			1,417,768.00
कांगड़ा खाता सं० 39941			30,454,700.00
लाहौल और स्पिति खाता सं० 010858			1,173,526.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया			
नाहन (सिरमौर) खाता सं० 307322			609,669.00
हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेटिव बैंक			
बिलासपुर खाता सं० 115200			78,043.00
इलाहबाद बैंक			
हमीरपुर खाता सं० 50084392010			1,309,474.00
ऊना खाता सं०			184,609.00
कांगड़ा खाता सं० 5005472037			1,597,593.00
हस्तगत राशि			
लाहौल और स्पिति			84.00
किन्नौर			10,338.00
शिमला			2,483.00
चम्बा			8,735.00
एस०पी०ओ० शिमला			9,847.00
	कुल		456,760,689.00

अनुसूची ई			
अग्रिम राशि विवरण			
अग्रिम राशि जिला परियोजना अधिकारी बिलासपुर		--	
चम्बा		282,875.50	
कुल्लु		417,685.00	
ऊना		236,525.00	937,085.50
अग्रिम राशि वार्षिक स्कूल अनुदान बिलासपुर			
हमीरपुर		3,350,000.00	
किन्नौर		1,147,928.00	
चम्बा		1,234,390.00	
कांगडा		4,175,666.00	
कुल्लू		2,675,000.00	
बिलासपुर		2,156,524.00	
लाहौल-स्पिति		979,706.00	
मण्डी		11,676,809.00	
शिमला		14,289,184.00	
सिरमौर		3,975,000.00	
सोलन		3,669,487.00	
ऊना		1,910,223.00	51,239,917.00
अग्रिम राशि शैक्षणिक भ्रमण			
चम्बा		62,200.00	
कांगडा		672,872.00	
लाहौल-स्पिति		4,600.00	
मण्डी		4,900.00	
बिलासपुर		581,366.00	
शिमला		432,505.00	
ऊना		33,700.00	1,792,077.00
अग्रिम राशि छोटी मुरम्मत अनुदान			
चम्बा		182,875.00	
कांगडा		70,288.00	
लाहौल और स्पिति		58,375.00	
मंडी		15,308.00	
शिमला		2,835,499.00	
ऊना		147,489.00	3,340,834.00

● राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ●

अग्रिम निर्माण कार्य हेतु			
चम्बा		1,863,000.00	
हमीरपुर		16,367,000.00	
कुल्लू		3,076,000.00	
लाहौल-स्पिति		800,000.00	
किन्नौर		2,513,000.00	
मंडी		11,978,000.00	
बिलासपुर		12,022,000.00	
शिमला		18,904,000.00	
सिरमौर		2,850,000.00	
ऊना		10,635,449.00	81,008,449.00
बी०एस०एन०एल० (उप-मण्डल शिमला)			95,405,698.00
हिमुडा शिमला			80,360,500.00
अग्रिम खेलकूद अनुदान शिमला			300,000.00
अग्रिम स्कूल सशक्तिकरण सोलन			3,639,000.00
उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, काजा			145,500.00
एच०पी०एस०ई०डी०सी० खलिनी			32,586.00
कुलदीप शर्मा			4,330.00
श्री डी०एन० आज़ाद			4,000.00
हिमाचल प्रदेश राज्य मुद्रण एवं लेखन विभाग			27,942.00
श्री विजय कुमार, सोलन			2,000.00
श्री राजीव शर्मा, सोलन			33,499.00
	कुल		318,273,417.50
अनुसूची एफ			
वर्तमान देनदारियों का विवरण			
स्कूलों को देय राशि, चम्बा			76,357.00
आयकर वेतन			4,700.00
टी०डी०एस० एन०आई०ई०एल०आई०टी०			10,730.00
भ्रमण			320.00
सीमैट शुल्क			14,032.00
जी०आई०एस० देय			60.00
टी०ए०/डी०ए० देय			716.00
भानू प्रताप हमीरपुर			54.00
	कुल		106,969.00

सोनी एंड रूस्तोगी चार्टर्ड ऐकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०
ई-मेल sksonifca@yahoo.com

नित्य निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स नं० 91.177-2624188, 2622588
मो० 94180-01500 94181-88588

लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मिशन निदेशक,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)
डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला (हि०प्र०)

हमने समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या 120/95 दिनांक 03.11.1995 के अंतर्गत पंजीकृत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति लालपानी शिमला (हि०प्र०) बालिका छात्रावास स्कीम के तुलन पत्र 31.03.2013 के अनुसार, निर्दिष्ट तिथि अनुसार उक्त समिति के आय व व्यय खाते तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते का परीक्षण किया जो उक्त समिति द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों के मिलान में है।

हमने लेखा परीक्षा स्थापित परीक्षण मानकों तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बालिका छात्रावास स्कीम लेखा पुस्तक के अनुसार किया। उन मानकों के अनुसार ऑडिट योजना व कार्य किया गया जो तर्कपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं कि वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटिपूर्ण टिप्पणियों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण जांच आधार, वित्तीय विवरण में राशि और अभिव्यक्ति सहायक साक्ष्य सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में अपनाए गए लेखा सिद्धांतों का अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशिष्ट अनुमान तथा पूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होते हैं। हमें यह विश्वास है कि हमारे द्वारा कि गई लेखा परीक्षा इस मत को तर्क पूर्ण आधार प्रदान करती है।

हमारे द्वारा किया गया ऑडिट हमें प्रदान किये गये टर्म ऑफ रिफरेंस के अनुसार है। हमारे मतानुसार और महत्वपूर्ण लेखा सिद्धांतों तथा लेखों पर टिप्पणियां जो प्रबंधन पत्र में दी गई हैं के अतिरिक्त वर्ष 31/3/2013 के अंत में बने वित्तीय विवरण तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के तहत बालिका छात्रावास स्कीम (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) वर्ष 31/3/2013 को समाप्त हुए वर्ष की निधियों के स्त्रोंतो और उपयोग का सही व वास्तविक विवरण प्रस्तुत करता है।

सोनी एंड रूस्तोगी
चार्टर्ड ऐकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०नं० 082576
एफ०आर०एन० 004737एन०

सोनी एंड रूस्तोगी चार्टर्ड ऐकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०
ई-मेल sksonifca@yahoo.com

नित्य निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स नं० 91.177-2624188, 2622588
मो० 94180-01500 94181-88588

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति बालिका छात्रावास परियोजना से संबंधित वर्ष 2012-13 का वित्तीय विवरण जो यहां संलग्न हैं का भारतीय सन्दी लेखाकार संस्थान के नियमों एवं मानकों के अनुसार ऑडिट किया गया है तथा तदानुसार पुष्टि हेतु लेखों की जांच, अभिलेख, आन्तरिक जांच एवं ऑडिट की अन्य विधियों को सम्मिलित किया गया।

- 1) बालिका छात्रावास स्कीम (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) अभिव्यक्तियां एवं टिप्पणियाँ जो इसी तिथि के अनुसार संलग्न किए गए तुलन पत्र का अभिन्न भाग है के अतिरिक्त स्रोत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की गतिविधियों के लिए है।
- 2) वित्तीय विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

उपरोक्त वित्तीय विवरण के ऑडिट के समय सम्बद्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया तथा वे बालिका छात्रावास स्कीम (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत सहायक प्रत्याहरण हेतु विश्वसनीय हैं।

सूचना एवं विवेचना के आधार पर वांछित परीक्षण ऑडिट से हमारी जानकारी के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय विवरण तथा अलग से दी गई अभिव्यक्तियां वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बालिका छात्रावास स्कीम कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया का एक सही तथा स्पष्ट दृश्य दर्शाता है।

सोनी एंड रूस्तोगी
चार्टर्ड ऐकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०नं० 082576
एफ०आर०एन० 004737एन०

सोनी एंड रूस्तोगी चार्टर्ड ऐकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०
ई-मेल sksonifca@yahoo.com

नित्य निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स नं० 91.177-2624188, 2622588
मो० 94180-01500 94181-88588

अधिप्राप्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने बालिका छात्रावास स्कीम के लिए प्रयोग किए गए अधिप्राप्ति नियम का अध्ययन किया जो वर्ष 2012-13 के हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के अभिलेखों और जिलों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से उदग्रहण के आधार पर है। हम प्रमाणित करते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध और अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका में निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया की अनुपालना की गई है।

सोनी एंड रूस्तोगी
चार्टर्ड ऐकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०नं० 082576
एफ०आर०एन० 004737एन०

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं बालिका छात्रावास स्कीम –राज्य मिशन
प्राधिकरण

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विशेष लेखानितियां व लेखों पर टिप्पणियां

1. समिति के लेखों को उपार्जित प्रणाली के आधार पर अनुरक्षित किया गया है।
2. सहायता अनुदान
राजस्व व्यय
 - (i) राजस्व अनुदान को वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि की सीमा तक आय माना गया है। उपयोग नहीं की गई राशि को लेखा पुस्तकों में अलग से दर्शाया जा रहा है।
 - (ii) राजस्व व्यय को जिसे वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया/अनुमोदित किया गया सामान्यतः वर्ष में व्यय माना गया है।

लेखों पर टिप्पणियां

- अ) वित्तीय विवरण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बालिका छात्रावास स्कीम के लिए प्राप्त/उपयोग की गई निधि को तैयार किया गया है। इस स्कीम में अनुदान परियोजना के प्रारम्भ होने से ही प्राप्त हो गया था और 31.03.2013 तक की अर्जित ब्याज की गई राशि बिना उपयोग के रह गई है, क्योंकि इस मद में प्राप्त अनुदान के ऊपर कोई खर्चा नहीं हुआ है।
- ब) पूर्व वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकता के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया गया है।

सोनी एंड रुस्तोगी
चार्टर्ड ऐकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

एस के सोनी सहकर्ता

सोनी एंड रूस्तोगी चार्टर्ड ऐकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०
ई-मेल sksonifca@yahoo.com

नित्य निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स नं० 91.177-2624188, 2622588
मो० 94180-01500 94181-88588

31/3/2013 को समाप्त वर्ष में बालिका छात्रावास स्कीम का हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति को देय उपयोगिता प्रमाण पत्र

राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश

क्र०सं०	स्वीकृति पत्र संख्या और तारीख	राशि
	विवरण	
ए	सहायता अनुदान-भारत सरकार अंश योग	
बी	सहायता अनुदान-राज्य सरकार अंश योग	0.00
	कुल योग (ए+बी)	
सी	पिछले वर्ष का अव्यय शेष	1,10,62,348.00
डी	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	3,59,961.00
ई	अन्य प्राप्तियां	0.00
	कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई)	1,14,22,309.00
	घटाव: खर्च 2012-13	18,13,922.00
	अव्यय शेष	96,08,387.00
	प्रस्तुत कर्ता	
	अग्रिमें	45,00,000.00
	शुद्ध अव्यय शेष(रोकड़ एवं बैंक शेष)	52,67,603.00
	चालू देनदारियां	1,59,216.00
	योग	96,08,387.00

1. प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2012-13 में सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के लिए मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा और साक्षरता विभाग व राज्य सरकार ने कोई भी अनुदान मंजूर/प्राप्त नहीं हुआ है। और 3,59,961.00 (मात्र तीन लाख उनसठ हजार नौ सौ इकसठ रुपये) वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए ब्याज के रूप में अर्जित किये और 1,10,62,348.00 रुपये (मात्र एक करोड़ दस लाख बासठ हजार तीन सौ अड़तालिस रुपये) 18,13,922.00 (अठारह लाख तेरह हजार नौ सौ बाईस रुपये) जिस मद के लिए मंजूर हुए थे के लिए उपयोग कर लिए गये और शेष 96,08,387.00 रुपये (मात्र छियानवें लाख आठ हजार तीन सौ सत्तासी रुपये) वर्ष के अन्त में बिना उपयोग के रह गये और अगले वर्ष प्राप्त होने वाले अनुदानों में समायोजित किए जायेंगे।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस सम्बन्ध में अपने आप को आश्वस्त कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान मंजूर किया गया था उनकी पूर्ति की गई है और यह देखने के लिए कि निधि वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है, जिसके लिए वह स्वीकृत की गई थी मैंने निम्न जांच की है :
3. अपनाई गई जांच कसौटियां
 - अ लेखों का लेखापरीक्षित विवरण (प्रति संलग्न)
 - ब उपयोगिता प्रमाणपत्र
 - स प्रगति रिपोर्ट (प्रति संलग्न)

स्थान:शिमला

दिनांक 09/12/2013

हस्ता—
राज्य परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

हमारे समक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत बहियों और अभिलेखों के बल पर उक्त विवरण का हमने सत्यापन कर लिया है और यह पाया कि वह तदानुसार तैयार किया गया है ।

सोनी एंड रूस्तोगी
चार्टर्ड ऐकाउंटैण्ट
एफ०आर० नं० 004737एन०

स्थान : शिमला
दिनांक: 02.02.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०नं० 082576
एफ०आर०एन० 004737एन०

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति-बालिका छात्रवास योजना
राज्य परियोजना कार्यालय डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला-171001
समेकित तुलन पत्र 31 मार्च 2013 तक

पूर्व वित्तीय वर्ष 2011-12	देयताएं	राशि	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वर्ष 2011-12	सम्पत्तियाँ	चालू वर्ष 2012-13
11,062,348.00	अव्यय अनुदान अनुलग्नक-1		9,608,387.00	11,062,348.00	वर्तमान सम्पत्तियाँ ऋण व अग्रिमें अग्रिमें रोकड़ व बैंक शेष	5,257,603.00
	चालू देयताएं सुरक्षा निधि सिविल अनुबंधकर्ता से		159,216.00		अग्रिमें अनुलग्नक-II	4,500000.00
11,062,348.00	कुल खर्च		9,767,603.00	11,062,348.00	कुल रू०	9,767,603.00

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

सोनी एंड रूस्तोगी, चार्टर्ड ऐकाउंटेंट, एफ०आर० नं० 004737एन०
एस के सोनी, सहकर्ता, एम०नं० 082576, एफ०आर०एन० 004737एन०

राज्य परियोजना कार्यालय डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला-171001

बालिका छात्रावास योजना

आय-व्यय का लेखा 31 मार्च 2013 तक

आय व्यय

पूर्व वर्ष	व्यय	राशि (रु०)	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	राशि	चालू वर्ष
2011			2012-13	2011-12			2012-13
420,107.00	बैंक शुल्क		170.00		अनुदान सहायता उपयोग		1,453,961.00
	बालिका छात्रावास का निर्माण		1,813,752.00	420,107.00	ब्याज प्राप्त		359,961.00
420,107.00		कुल योग रु०	1,813,922.00	420,107.00		कुल रु०	1,813,922.00

राज्य परियोजना कार्यालय डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला-171001

बालिका छात्रावास योजना

प्राप्ति व भुगतान का लेखा 31 मार्च 2013 तक

पूर्व वर्ष 2011-12	प्राप्तियाँ	राशि रु०	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वर्ष 2011-12	भुगतान	राशि रु०	चालू वर्ष
10,430,241.00	शेष बकाया पी०एन०बी० संजौली	—	11,062,348.00	—	अग्रिम राशि का भुगतान बालिका छात्रावास निर्माण हेतु		4500000.00 1,545,36.00
212,000.00	अनुदान सहायता सैन्ट्रल बैंक से प्राप्त स्टेट बैंक से प्राप्त	—	—	11,062,348.00	बैंक शुल्क संजौली बैंक बजट खाता स्टेट बैंक आफ पटियाला चम्बा के साथ	1,908,478.00 3,359,125.00	170.00 5,267,603.00
420,107.00	ब्याज से प्राप्त राशि	—	359,961.00				
11,062,348.00		कुल राशि	11,422,309.00	11,062,348.00		कुल रूपये	11,422,309.00

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 [47]

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

स्थान : शिमला

दिनांक: 09.12.2013

सोनी एंड रूस्तोगी, चार्टर्ड ऐकाउंटेंट, एफ०आर० नं० 004737एन०
एस के सोनी, सहकर्ता, एम०नं० 082576, एफ०आर०एन० 004737एन०

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति-बालिका छात्रवास योजना
राज्य परियोजना कार्यालय डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला-171001

व्यय सहायता अनुदान राशि का विवरण-31.03.2013

अनुलग्नक -I

	गत शेष	प्राप्तियाँ	उपयोगिताएं	राशि शेष
सहायता अनुदान	10411200.00	0.00	1813922.00	8597278.00
ब्याज	651148.00	359961.00	0.00	1011109.00
कुल	11062348.00	359961.00	1813922.00	9608387.00

सोनी एंड रूस्तोगी चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०
ई-मेल sksonifca@yahoo.com

नित्य निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स नं० 91.177-2624188, 2622588
मो० 94180-01500 94181-88588

लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मिशन निदेशक,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)
डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला (हि०प्र०)

हमने समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या 120/95 दिनांक 03.11.1995 के अंतर्गत पंजीकृत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति लालपानी शिमला (हि०प्र०) मॉडल स्कूल स्कीम के तुलन पत्र 31.03.2013 के अनुसार, निर्दिष्ट तिथि अनुसार उक्त समिति के आय व व्यय खाते तथा प्राप्त एवं भुगतान खाते का परीक्षण किया जो उक्त समिति द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों के मिलान में है।

हमने लेखा परीक्षा स्थापित परीक्षण मानकों तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की मॉडल स्कूल स्कीम लेखा पुस्तक के अनुसार किया। उन मानकों के अनुसार ऑडिट योजना व कार्य किया गया जो तर्कपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं कि वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटिपूर्ण टिप्पणियों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण जांच आधार, वित्तीय विवरण में राशि और अभिव्यक्ति सहायक साक्ष्य सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में अपनाए गए लेखा सिद्धांतों का अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशिष्ट अनुमान तथा पूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होते हैं। हमें यह विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा इस मत को तर्क पूर्ण आधार प्रदान करती है।

हमारे द्वारा किया गया ऑडिट हमें प्रदान किये गये टर्म ऑफ रिफरेन्स के अनुसार है। हमारे मतानुसार और महत्वपूर्ण लेखा सिद्धांतों तथा लेखों पर टिप्पणियां जो प्रबंधन पत्र में दी गई हैं के अतिरिक्त वर्ष 31/3/2013 के अंत में बने वित्तीय विवरण तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (मॉडल स्कूल स्कीम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) वर्ष 31/3/2013 को समाप्त हुए वर्ष की निधियों के स्त्रोंतो और उपयोग का सही व वास्तविक विवरण प्रस्तुत करता है।

सोनी एंड रूस्तोगी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ०आर० नं० 004737एन०

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०नं० 082576
एफ०आर०एन० 004737एन०

सोनी एंड रूस्तोगी चार्टर्ड ऐकाउंटैण्ट
एफ०आर० नं० 004737एन०
ई-मेल sksonifca@yahoo.com

नित्य निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स नं० 91.177-2624188, 2622588
मो० 94180-01500 94181-88588

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति, मॉडल स्कूल योजना से संबंधित वर्ष 2012-13 का वित्तीय विवरण जो यहां संलग्न है का भारतीय सन्दी लेखाकार संस्थान के नियमों एवं मानकों के अनुसार ऑडिट किया गया है तथा तदानुसार पुष्टि हेतु लेखों की जांच, अभिलेख, आन्तरिक जांच एवं ऑडिट की अन्य विधियों को सम्मिलित किया गया।

- 1) अभिव्यक्तियों एवं टिप्पणियां जो इसी तिथि के अनुसार संलग्न किए गए तुलन पत्र का अभिन्न भाग है के अतिरिक्त स्रोत सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों के लिए है।
- 2) वित्तीय विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

उपरोक्त वित्तीय विवरण के ऑडिट के समय सम्बद्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया तथा वे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मॉडल स्कूल योजना के अन्तर्गत सहायक प्रत्याहरण हेतु विश्वसनीय हैं।

सूचना एवं विवेचना के आधार पर वांछित परीक्षण ऑडिट से हमारी जानकारी के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय विवरण तथा अलग से दी गई अभिव्यक्तियां वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मॉडल स्कूल स्कीम कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया का एक सही तथा स्पष्ट दृश्य दर्शाता है।

सोनी एंड रूस्तोगी
चार्टर्ड ऐकाउंटैण्ट
एफ०आर० नं० 004737एन०

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०नं० 082576
एफ०आर०एन० 004737एन०

सोनी एंड रूस्तोगी चार्टड ऐकाउंटैण्ट
एफ०आर० नं० 004737एन०
ई-मेल sksonifca@yahoo.com

नित्य निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स न० 91.177-2624188, 2622588
मो० 94180-01500 94181-88588

अधिप्राप्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने मॉडल स्कूल स्कीम के लिए प्रयोग किए गए अधिप्राप्ति नियम का अध्ययन किया जो वर्ष 2012-13 के हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के अभिलेखों और जिलों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से उदग्रहण के आधार पर है। हम प्रमाणित करते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मॉडल स्कूल स्कीम अंतर्गत वित्तीय प्रबंध और अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका में निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया की अनुपालना की गई है।

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

सोनी एंड रूस्तोगी
चार्टड ऐकाउंटैण्ट
एफ०आर० नं० 004737एन०

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०नं० 082576
एफ०आर०एन० 004737एन०

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के अन्तर्गत मॉडल स्कूल स्कीम

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विशेष लेखनीतियां व लेखों पर टिप्पणियां

1. हिमाल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (मॉडल स्कूल स्कीम) के लेखों को उपार्जित प्रणाली के आधार पर अनुरक्षित किया गया है।
2. **सहायता अनुदान**
 - (i) राजस्व अनुदान को वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि की सीमा तक आय माना गया है। उपयोग नहीं की गई राशि को लेखा पुस्तकों में अलग से दर्शाया जा रहा है।
 - (ii) राजस्व व्यय को जिसे वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया/अनुमोदित किया गया सामान्यतः वर्ष में व्यय माना गया है।

लेखों पर टिप्पणियां

- (अ) वित्तीय विवरण उन राशियों के लिए तैयार किया गया है जो मॉडल स्कूल स्कीम के लिए प्राप्त/उपयोग की गई। 31.03.2013 की समाप्ति वर्ष तक इस राशि का कोई उपयोग न किए जाने के कारण समायोजित नहीं किया गया है।
 - (ब) प्रारंभिक वर्षों में हिमुडा को विद्यालयों के निर्माण हेतु 7.24 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जिसका कि उपयोगिता प्रमाण पत्र उस एजेंसी से प्राप्त न होने के कारण निधि को समायोजित नहीं किया गया है। शेष राशि हिमुडा से सत्यापित करने योग्य है।
 - (स) पूर्व वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है।
3. समिति के लेखों को उपार्जित प्रणाली के आधार पर अनुरक्षित किया गया है।

सहायता अनुदान

राजस्व खर्च

- (iii) राजस्व अनुदान को आय माना गया है यदि वह वर्ष के दौरान उपयोग की गई है और बिना खर्च शेष को बही खातों में अलग दर्शाया गया है।
- (iv) राजस्व खर्च को वर्ष का खर्च माना जाए जब तक यह वर्ष के दौरान/मंजूर होता है।

लेखों पर टिप्पणियां :-

1. वित्तीय विवरण मॉडल स्कूल स्कीम के तहत प्राप्ति/उपयोग की गई निधि को तैयार किया गया है।
2. ऋण और अग्रिम में हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को 7,24,00,000.00 (सात करोड़ चौबीस लाख रुपये) दिनांक 22.03.2011 को जिला चम्बा और सिरमौर के पाँच (5) आदर्श विद्यालयों को बनाने के लिये दिये गये हैं भी शामिल हैं।
3. शेष वसूल और देय पुष्टि पर आधारित हैं।
4. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकता अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है

सोनी एंड रूस्तोगी

चार्टर्ड ऐकाउंटेंट

एफ०आर० नं० 004737एन०

एस के सोनी

सहकर्ता

एम०नं० 082576

एफ०आर०एन० 004737एन०

स्थान : शिमला

दिनांक: 09.12.2013

31/3/2012 को समाप्त वर्ष के लिए मॉडल स्कूल योजना के अधीन उपयोगिता
प्रमाण पत्र

राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश

क्र०सं०	स्वीकृति पत्र संख्या और तारीख	
	विवरण	राशि
ए	सहायता अनुदान- भारत सरकार अंश	0.00
	योग	0.00
बी	सहायता अनुदान- राज्य सरकार अंश	0-00
	योग	0.00
	कुल योग (ए+बी)	0.00
सी	पिछले वर्ष का अव्यय शेष	7,65,93,949.00
डी	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	1,69,971.00
ई	अन्य प्राप्तियां	0.00
	कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई)	7,67,63,920
	घटाव: खर्च 2012-13	0.00
	अव्यय शेष	7,67,63,920
	प्रस्तुतकर्ता	
	अग्रिमें	7,24,00,000.00
	शुद्ध अव्यय शेष (रोकड़ एवं बैंक शेष)	43,63,920.00
	योग	7,67,63,920

- 1 यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के पक्ष में शून्य राशि प्राप्त हुए और 1,69,971.00 रुपये (मात्र एक लाख उनहत्तर हजार नौ सौ इकहत्तर रुपये) वर्ष 2012-13 की अवधि में अर्जित ब्याज, 7,65,93,949.00 रुपये (मात्र सात करोड़ पैसठ लाख तिरानवे हजार नौ सौ उनचास रुपये) पिछले वर्ष बिना खर्च शेष के रूप में प्राप्त हुए इसमें से शून्य राशि उस मद में उपयोग किये गये

जिस के लिए मंजूर हुए थे और शेष 43,63,920.00 रुपये (मात्र तिरतालीस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ बीस रुपये) और अग्रिम भुगतान 7,24,00000.00 रुपये (सात करोड़ चौबीस लाख रुपए मात्र) कम करके कुल 7.67.63.920.00 (मात्र सात करोड़ सतासठ लाख तिरेसठ हजार नौ सौ बीस रुपये) वर्ष के अन्त तक बिना खर्च शेष अगले वर्ष की सहायता अनुदान में समायोजित की जाएगी।

- 2 यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस सम्बन्ध में अपने आपको आश्वस्त कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान मंजूर किया गया था उनकी पूर्ति की गई है और यह देखने के लिए कि निधि वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है जिसके लिए वह स्वीकृत की गई थी मैंने निम्न जांच की है।
- 3 अपनाई गई जांच कसौटियां
 - अ) लेखों का लेखा परीक्षित विवरण (प्रति संलग्न)
 - ब) उपयोगिता प्रमाण पत्र
 - स) प्रगति रिपोर्ट (प्रति संलग्न)

स्थान:शिमला

दिनांक 09/12/2013

हस्ता—

राज्य परियोजना निदेशक

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति-मॉडल स्कूल स्कीम
राज्य परियोजना कार्यालय डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला-171001

समेकित तुलन पत्र (31 मार्च, 2013 तक)

पूर्व वित्तीय वर्ष 2011-12	देयताएं	राशि (रु०)	चलू वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2011-12	सम्पतियाँ	चलू वर्ष 2012-13
					चालू सम्पतियां ऋण एवं अग्रिम	
76,593,949.00	अव्यय अनुदान अनुलग्नक-1		76,763,920.00	7,24,00,000.00	चालू सम्पतियाँ ऋण व अग्रिम अग्रिम स्कूल भवन निर्माण हेतु हिमुडा रोकड़ व बैंक शेष पी.एन.बी. संजौली बचत खाता	7,24,00,000.00 43,63,920.00
76,593,949.00			76,763,920.00	7,65,93,949.00		76,763,920.00

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 [55]

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

सोनी एंड रूस्तोगी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, एफ०आर० नं० 004737एन०
एस के सोनी, सहकर्ता, एम०नं० 082576, एफ०आर०एन० 004737एन०

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति-मॉडल स्कूल योजना
राज्य परियोजना कार्यालय डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला-171001

31.03.2013 आय-व्यय सहायता अनुदान का विवरण (मॉडल स्कूल)

पूर्व वर्ष 2011-12	व्यय	राशि (रु०)	चालू वर्ष 2012-13	पूर्व वर्ष 2011-12	आय	राशि	चालू वर्ष
295,213.00	तुलन पत्र को हस्तांतरित राशि		169,971.00	295,213.00	प्राप्त ब्याज एस. पी. ओ. शिमला		169,971.00
295,213.00	कुल (रु०)		169,971.00	295,213.00	कुल (रु०)		169,971.00

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति-मॉडल स्कूल योजना
राज्य परियोजना कार्यालय डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला-171001

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित प्राप्ति और भुगतान लेखा

पूर्व वित्तीय वर्ष 2011-12	प्राप्तियाँ	राशि (रु.)	चालू वर्ष 2011-12	पूर्व वित्तीय वर्ष 2010-11	भुगतान	राशि (रु.)	चालू वर्ष 2011-12
	गत शेष						
2,498,736.00	बैंक बकाया पी.एन.बी. संजौली		4,193,949.00		हिमुडा अग्रिम देय राशि		
	सहायता अनुदान राशि राज्य सरकार से प्राप्त			1,00,000.00	देय उधार		0.00
1,500,000.00	सहायता अनुदान राशि राज्य सरकार से प्राप्त				इति शेष		
295,213.00	ब्याज से प्राप्ति राशि		169,971.00	4,193,949.00	बैंक में राशि पी.एन.बी संजौली	4,363,920.00	4,363,920.00
	देय उधार						
	योग		4,363,920.00	42,93,949.00	योग		4,363,920.00

स्थान : शिमला
दिनांक: 09.12.2013

सोनी एंड रूस्तोगी, चार्टर्ड ऐकाउंटेंट, एफ०आर० नं० 004737एन०
एस के सोनी, सहकर्ता, एम०नं० 082576, एफ०आर०एन० 004737एन०

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति-मॉडल स्कूल योजना
राज्य परियोजना कार्यालय डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला-171001

अनुलग्नक-I

सहायता अनुदान उपयोगिता का विवरण 31.03.2012 के अनुसार

	गत शेष	प्राप्तियाँ	उपयोगिता	शेष राशि
सहायता अनुदान				
केन्द्र सरकार	67800000.000			
राज्य सरकार	6000000.00	0.00	0.00	67800000.00
ब्याज	2793949.00	169971.00	0.00	6000000.00
कुल	75693949.00	169971.00	0.00	76763920.00

Abbreviations and Acronyms

AIR	All India Radio	NCB	National Competitive Bidding
ALS	Alternative Schools	NCE	Nodal Continuing Education Centre
AWP & B	Annual Work Plan and Budget	NCERT	National Council of Educational Research & Training
BPEO	Block Primary Education Officer	NCTE	National Council of Teacher Education
BRC	Block Resource Centre	NFHS	National Family Health Survey
BRCC	Block Resource Centre Coordinator	NEEM	National Elementary Education Mission
CHT	Centre Head Teacher	NER	Net Enrolment rate
CRC	Cluster Resource Centre	NFE	Non Formal Education
CRCC	Cluster Resource Centre Coordinator	NGO	Non Governmental Organisation
CWD	Children with Disabilities	NIC	National Informatic Centre
CWSN	Children With Special Needs	NIOH	National Institute of Orthopedically Handicapped
DPEO	District Primary Education Officer	NUEPA	National University of Educational Planning & Administration
DC	Deputy Commissioner	NIVH	National Institute of Visually Handicapped
DCFA	Deputy Controller Finance & Accounts	NLM	National Literacy Mission
DEC	Distance Education Coordinator	NPE	National Policy on Education
DPEP	District Primary Education Programme	NRRC	National Research and Resource Centre
DCF	Data Capture Format	PMIS	Project Management Information System
DIET	District Institute of Education and Training	PMRY	Prime Minister Rozgar Yojana
DISE	District Information System for Education	POA	Programme of Action
DEP	Distance Education Programme	PRA	Participatory Rural Appraisal
DG	Director General	PRI	Panchayati Raj Institution
DPE	Directorate of Primary Education	PTA	Parent Teacher Association
DPC	District Project Coordinator	RTE	Regional Institute of Education
DPO	Deputy Project Officer	SC	Scheduled Caste
DS	Deputy Secretary	SCERT	State Council of Educational Research and Training
EC	Executive Committee	SDP	School Development Plan
ECCE	Early Childhood Care and Education	SEC	School Education Committee
ECE	Early Childhood Education	SES	Selected Educational Statistics
Ed.CIL	Education Consultant India Ltd.	SIEMAT	State Institute of Educational Management & Training
EFA	Education For All	SIS	State Implementation Society
EGS	Education Guarantee Scheme	SMC	School Management Committee
EMIS	Educational Management information System	SNGC	Special Need Group Children
EVS	Environmental Science	SPD	State Project Director
GC	Governing Council	SPO	State Project Office
GER	Gross Enrolment Rate	SRC	State Resource Centre
GOI	Govt. of India	SRG	State Resource Group
HGVS	Himachal Gyan Vigyan Samiti	SSA	Sarva Shiksha Abhiyan
HI	Hearing Impaired	ST	Scheduled Tribes
HT	Head Teacher	SIM	Self Instructional Material
ICB	International Competitive Bidding	STEPS	State Educational Planning System
ICDS	Integrated Child Development Scheme	TLC	Total Literacy Campaign
IDA	International Development Agency	TLE	Teaching: Learning Equipment
IED	Integrated Education for Disabled	TLM	Teaching Learning Material
IGNOU	Indira Gandhi National Open University	TOR	Term of Reference
JBT	Junior Basic Teacher	TOT	Training of Trainers
JRM	Joint Review Mission	TTI	Teachers Training Incharge
MD	Mission Director	TSG	Technical Support Group
MHRD	Ministry of Human Resource Development	UEE	Universalisation of Elementary Education
MIS	Management Information System	UPE	Universal Primary Education
MR	Mental Retardation	VEC	Village Education Committee
MT	Master Trainer	VEP	Village Education Plan
MTA	Mother Teacher Association		